एच.ई.सी.

वार्षिक प्रतिवेदन

Annual Report 2010-2011

... उत्पादकता हेतु प्रतिबद्धता
... committed to productivity

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD.

अविस्मरणीय क्षण (GLIMPSES OF SOME IMPORTANT EVENTS)

श्री जी. के. पिल्लई, सी.एम.डी., एच.ई.सी.लि., ''बोर्ड फॉर रिक्न्स्ट्रक्शन आफ पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (बी.आर. पी.एस.ई.) टर्नअराउण्ड अवार्ड, 2010'', डॉ. नीतिश सेनगुप्ता, भा.प्र.से., चेयरमैन, बी.आर.पी.एस.ई.से ग्रहण करते हुए। साथ में श्रीमति स्तुति कक्कड़, भा.प्र.से.,सचिव बी.आर.पी.एस.ई. एवं श्री अरूप रॉय चौधरी, चेयर मैन, स्कॉप एवं सी.एम.डी. एन.टी.पी.सी.।

Shri G K Pillai, CMD HEC Ltd receiving the “Board For Reconstruction Of Public Sector Enterprises (BRPSE) Turnaround Award 2010” from Dr Nitish Sengupta IAS, Chairman BRPSE in the presence of Smt Stuti Kacker, IAS, Secretary, BRPSE and Shri Arup Roy Choudhury, Chairman SCOPE and CMD NTPC at Tagore Hall, SCOPE Complex, New Delhi on 10.03.2011.

माननीय मुख्यमंत्री, गोवा श्री, दिगम्बर कामत द्वारा 16.05.2011 को गोवा में 15वें सी.ई.ओ. कान्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन आफ इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग (आई.आई. आई.ई.) कें दौरान ''परफॉर्मेंस एक्सेलेंस अवाई, 2010 ग्रहण करते श्री जी. के. पिल्लई, सी.एस.डी., एच.ई.सी.लि.।

Shri G K Pillai, CMD, HEC Ltd. receiving the “Performance Excellence Award 2010” from Hon’ble Chief Minister of Goa, Shri Digambar Kamat during the 15th CEOs Conference of Indian Institution of Industrial Engineering (IIIE) at Goa on 16.05.2011.

अविस्मरणीय क्षण

झारखण्ड प्रीमियर लीग क्रिकेट 2010–11 का दीप प्रज्वल्लित कर उद्घाटन करते
श्री जी.के. पिल्लई, सी.एम.डी., एच.ई.सी.

इंडोनेशिया के राजदूत, महामहिम लेफ्टिनेंट जेनरल (सेवानिवृत)
एन्डी एम. गालिब का एच.ई.सी., रौंची दौरा

एच.ई.सी.

गुणवत्ता नीति

QUALITY POLICY

"ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं
के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण उत्पादों, प्रणालियों
एवं सेवाओं के विश्वसनीय सप्लायर
के रूप में अग्रणी स्थान प्राप्त करना
तथा उसे बनाये रखना"

**"TO ACHIEVE AND MAINTAIN A
LEADING POSITION
AS A SUPPLIER OF RELIABLE QUALITY
PRODUCTS,
SYSTEMS AND SERVICES TO MEET
CUSTOMER
NEEDS AND EXPECTATIONS"**

अनुक्रमणिका

1.	वार्षिक आम सभा की सूचना	....	02
2.	निदेशकीय प्रतिवेदन	....	03
–	अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिक समावेशन, रूपान्तरण, नवीनीकरण तथा ऊर्जा	....	09
–	निगमित शासन की रिपोर्ट	....	11
–	लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन एवं उत्तर	....	13
–	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा पर टिप्पणियाँ	....	19
3.	वार्षिक लेखा		
–	महत्वपूर्ण लेखा नीति का विवरण	....	20
–	अंकेक्षित लेखा के साथ अनुसूचियाँ एवं कैश फ्लो	....	23
4.	अतिरिक्त सूचनाएँ	....	43

निदेशक मंडल

(30.09.2011)

अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक	:	श्री जी.के. पिल्लई
निदेशक (वित्त)	:	श्री आर. मिश्रा
निदेशक (विपणन)	:	श्री भरत प्रसाद
निदेशक (उत्पादन)	:	श्री कुशल साहा
निदेशकगण	:	श्री सौरभ चन्द्रा
	:	श्री हरभजन सिंह
कम्पनी सचिव	:	श्री अभय कुमार कंठ
सांविधिक लेखा परीक्षक	:	मेसर्स अंजलि जैन एण्ड एसोसियेट्स (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)
बैंकर्स	:	भारतीय स्टेट बैंक
पंजीकृत कार्यालय	:	प्लांट प्लाजा रोड, धुर्वा, राँची – 834004 (झारखण्ड)

वार्षिक आमसभा की सूचना

एतद् द्वारा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 52वीं वार्षिक आमसभा शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर, 2011 को 11:00 बजे पूर्वाह्न राँची स्थित पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित कारोबार के संपादन के लिए होगीः

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए शेयरधारकों हेतु निदेशकों के प्रतिवेदन को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
2. 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ–हानि लेखा और उसी तिथि को तुलन–पत्र के साथ लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और इस पर हमारे उत्तर को प्राप्त करना, विचार करना और स्वीकार करना।
3. वित्तीय वर्ष 2011–2012 के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के तहत अंकेक्षक की नियुक्ति एवं सांविधिक अंकेक्षक के लिए पारिश्रमिक नियत करने हेतु निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

बोर्ड के आदेशानुसार

दिनांक 12.09.2011

(अभय कुमार कंठ)
कम्पनी सचीव

टिप्पणी : सभा में उपस्थित होने तथा मत देने के आधिकारिक कंपनी सदस्य अपने बदले में उपस्थित होने तथा मत देने के लिए प्रतिनिधि (प्रौक्सी) नियुक्त करने के लिए अधिकृत हैं और उक्त प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।

निदेशक मंडल
(30.09.2011 के अनुसार)

जी. के. पिल्लई
अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

सौरभ चन्द्रा
निदेशक

हरभजन सिंह
निदेशक

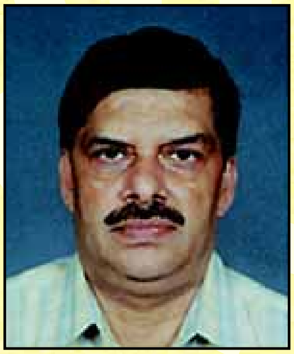

आर. मिश्रा
निदेशक (वित्त)

भरत प्रसाद
निदेशक (विपण्न)

कुशल साहा
निदेशक (उत्पादन)

अभय कुमार कंठ
कम्पनी सचिव

अविस्मरणीय क्षण

पीएसयू दिवस 16.04.2011 की पूर्व संध्या पर सजावटी नेहरु पार्क
एचईसी के फाउंड्री फोर्ज प्लांट के निकट का दृश्य

कार्यपालक प्रशिक्षणार्थी बैच–2010 को 19.01.2011 को आयोजित प्रवेश कार्यक्रम के
दौरान संबोधित करते हुए अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

निदेशक प्रतिवेदन

सेवा में,

शेयर धारकगण

हेवी ईंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि.

देवियों एवं सज्जनों,

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने राष्ट्र की सेवा में 52 वर्ष पूरे किये हैं। कंपनी के निदेशकगण को 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष का अंकेक्षित लेखा सहित कंपनी की 52वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

यह गर्व का विषय है कि आपकी कंपनी ने लगातार पांचवी बार शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है और इसे बीआरपीएसई टर्न अराउंड अवार्ड 2010 प्राप्त हुआ है। आपकी कंपनी को इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग (आईआईआईई) द्वारा आयोजित 15वां सीईओ कॉन्फ्रेंस 2011 में 'परफॉरमेंस अवार्ड' भी प्रदान किया गया है।

1. निष्पादन विशेषताएँ

आपको सूचित करते हुए अतीव प्रसन्नता हो रही है कि आपकी कंपनी ने समापन वित्तीय वर्ष के दौरान सराहनीय उन्नति की है। सकल बिक्री में विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में 29% तक वृद्धि हुई। वर्ष के दौरान सकल बिक्री रु.681.21 करोड़ की रही है जबकि पिछले वर्ष रु. 528.53 करोड़ थी। वर्ष के दौरान उत्पादन में 30% तक वृद्धि कर रु. 700.55 करोड़ रहा है जबकि विगत वर्ष में रु. 537.72 करोड़ का उत्पादन हुआ था।

2. उत्पादन एवं बिक्री

वर्ष के उत्पादन एवं बिक्री के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में निम्नवत है :—

(रु. करोड़ में)

	2010-2011		2009-2010	
	एम ओ यू	वास्तविक	एम ओ यू	वास्तविक
सकल बिक्री	700.00	681.21	550.00	528.53
उत्पादन	667.70	700.55	525.84	537.72

विगत आठ वर्षों की सकल बिक्री, उत्पादन एवं उत्पादकता निम्नानुसार है :—

सकल बिक्री

(रु. करोड़ में)

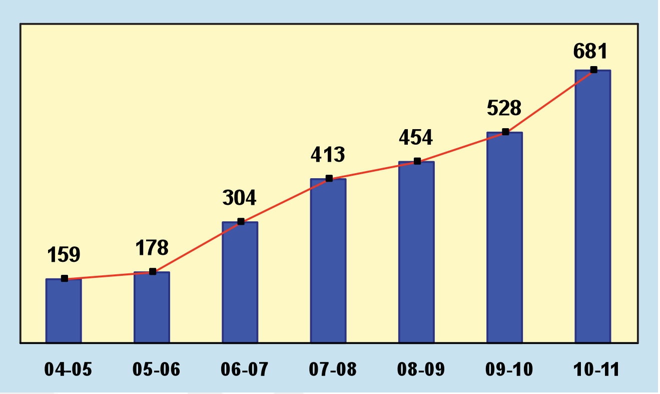

उत्पादन

(रु. करोड़ में)

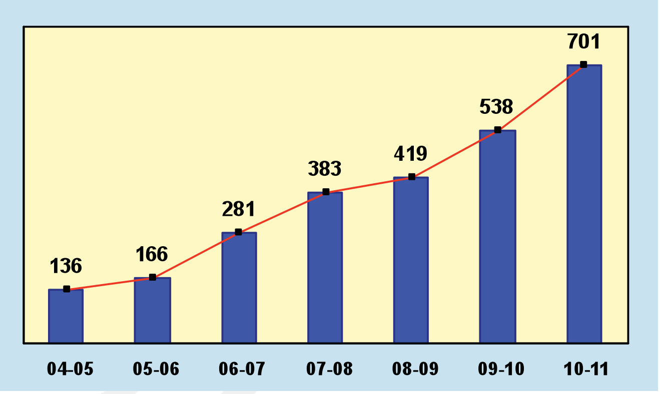

उत्पादकता :

प्रति कर्मचारी सकल बिक्री में सुधार का संकेत है

(रु. लाख में)

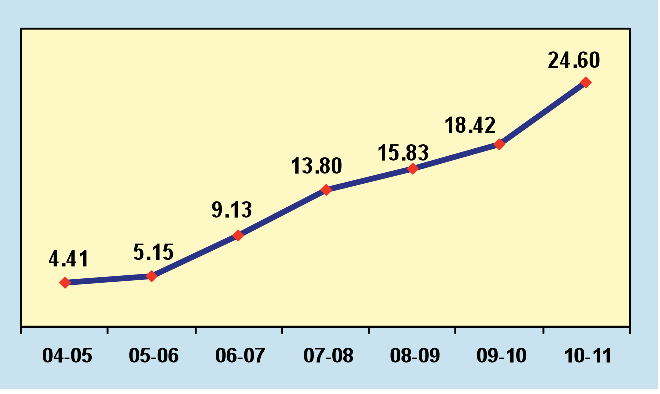

3. वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़ में)

	2010-2011		2009-2010	
व्योरे	एम ओ यू	वास्तविक	एम ओ यू	वास्तविक
सकल सीमांत *	54.00	42.60	46.50	34.38
ब्याज	12.00	0.92	19.79	0.47
मूल्य ह्रास	5.20	4.06	5.16	3.81
कर पूर्व लाभ	36.80	38.14	21.55	44.27
शुद्ध लाभ	36.80	38.14	21.55	44.27
नगद लाभ	42.00	42.20	35.41	48.08

* मूल्य ह्रास पूर्व लाभ ब्याज, कर, पूर्वावधि एवं असाधारण आइटम।

सकल सीमांत

(रु. करोड़ में)

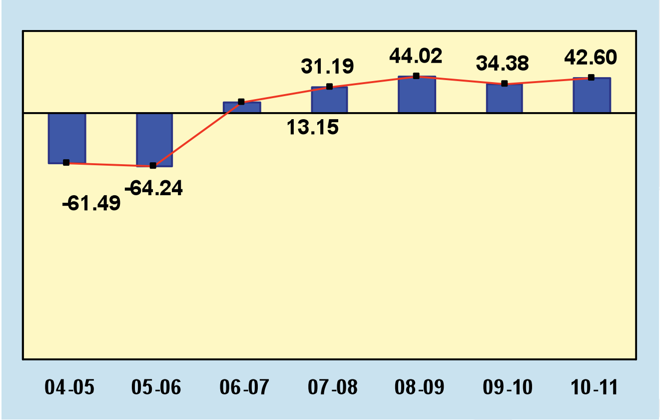

शुद्ध लाभ

(रु. करोड़ में)

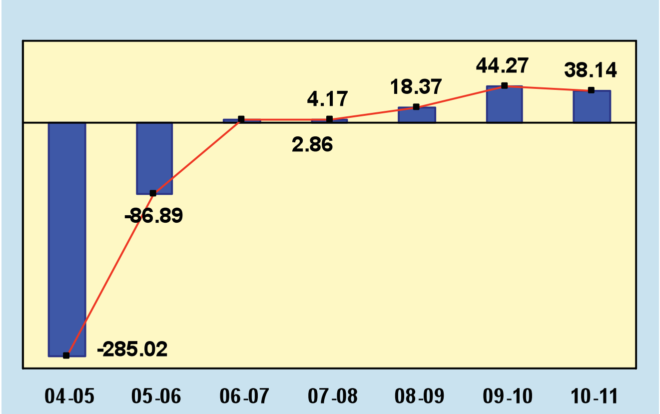

कंपनी की प्रदत्त इक्विटी पूँजी 31.03.2011 के अनुसार रु. 606.08 करोड़ हो गई।

वर्ष के दौरान कंपनी ने केन्द्र एवं राज्य राज कोष को पिछले वर्ष रु. 69.33 करोड़ की तुलना में रु. 66.45 करोड़ का अंशदान किया।

4. विपणन कार्यकलाप

प्राप्त कार्यादेश एवं कार्यादेश की स्थिति वर्ष के दौरान रु.1021.25 कोरड़ मूल्य के कार्यादेश प्राप्त किए गये जबकि पिछले वर्ष के कार्यादेश रु. 537.54 करोड़ मूल्य के थे।

कार्यादेश बुकिंग

(रु. करोड़ में)

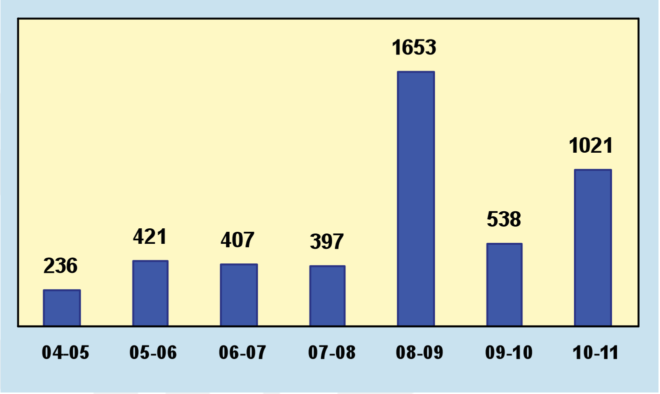

कंपनी के कार्यादेश पिछले वर्ष के कार्यादेश रु. 1962 करोड़ की तुलना में बढ़कर 1.4.2011 के अनुसार रु. 2337.14 करोड़ हो गये।

वर्तमान कार्यादेश (वर्ष के अंत तक)

(रु. करोड़ में)

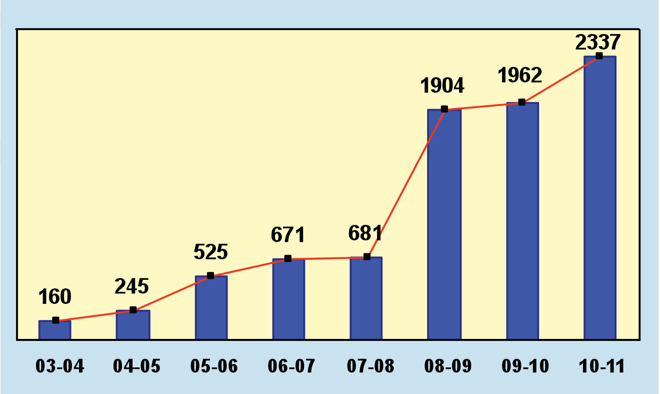

वर्ष के दौरान कंपनी ने निम्नांकित प्रतिष्ठित कार्यादेश प्राप्त किये :

* रु. 306 करोड़ मूल्य के 2 अदद ड्रैग लाइन एनसीएल से प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के द्वारा प्राप्त किये गये।
* रु. एचईसी ने कोल वाशरी व्यवसाय में प्रवेश कर मधुबंद, ...

बी.सी.सी.एल. के लिए 5 एमटीपीए कोल वाशरी के निर्माण हेतु रु. 210 करोड़ का कार्यादेश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली के माध्यम से प्राप्त किया।

* सीआईएल यूनिटों (सीसीएल-03, डब्लूसीएल-06) से 5 क्यूबिक मी. के 9 अदद रॉप शॉवेल।

उपर्युक्त ऑर्डर के अलावे विभिन्न इस्पात संयंत्रों, खनन एवं निजी क्षेत्र के जेनरल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से बहुत सारे कॉस्टिंग, फोर्जिंग्स, स्पेयर्स आदि के भी कार्यादेश प्राप्त हुए हैं।

प्रोजेक्ट कार्यकलाप

प्रोजेक्ट डिवीजन वर्तमान में निम्नलिखित टर्न की कार्यादेश पूरा कर रहा है (1) ओर हैण्डलिंग प्लांट पार्ट-ए (पैकेज 060), (2) बीएसपी भिलाई के कोल हैण्डलिंग प्लांट (062), (3) आरएसपी, राउरकेला ओर बेंडिंग एण्ड ब्लेंडिंग प्लांट पैकेज 090। इन परियोजनाओं के क्रियान्यवन इन स्थलों पर प्रगति पर है।

वर्ष 2010-11 में प्रोजेक्ट डिवीजन ने रु. 180 करोड़ लक्ष्य की तुलना में रु. 235 करोड़ का उत्पादन प्राप्त किया।

आने वाले वर्षों में इस्पात एवं खनन क्षेत्रों से मैटेरियल/कोल हैण्डलिंग प्लांट प्रोजेक्ट्स के लिए उच्च कीमत के बहुत सारे कार्यादेश मिलने की संभावना है।

व्यावसायिक क्षेत्रों में वृद्धि के प्रयास :

(अ) वर्ष 2010-11 के दौरान महत्वपूर्ण एमओयू/औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये :

1. मेसर्स एचईसी एवं मेसर्स एचएमटी मशीन टूल्स लि. दोनों संगठनों के बीच में मशीन टूल्स के संयुक्त विपणन एवं संसाधनों की हिस्सेदारी के लिए औपचारिक समझौता किया गया।

   एचईसी एवं एचएमटी - एमटीएल एक साथ मिलकर एचईसी को डिजाइन क्षमता, निर्माण, मशीन टूल्स की बड़ी श्रेणी की आपूर्ति और ग्राहकों को एक स्रोत पर लघुतम से विशालतम मशीन टूल्स के सभी प्रकार की समस्याओं का निदान प्रदान करने के साथ-साथ मशीन टूल्स के क्षेत्र में दुनिया के प्रधान कंपनी बनाना।

2. मेसर्स एचईसी और मेसर्स आरआईएनएल, विशाखापतनम के बीच में कोल क्रसर्स, सिंटर मशीन गियर बॉक्स, बीओएफ सम्बद्ध इक्विपमेंट्स, सीसीएम संबंधित इक्विपमेंट्स, लाइट एण्ड मिडियम मर्चेंट मील, वायर रॉड मील मिडियम मर्चेंट एण्ड स्ट्रक्चरल मील, बीएफ इक्वपमेंट्स आदि की एचईसी द्वारा आपूर्ति के लिए औपचारिक समझौता।

(ब) रेलवे व्यवसाय :

टावर वैगन कार : एचईसी ने अपने से टेंडर में भाग लिया एवं 45 अदद डीजल हाइड्रोलिक अंडर स्लंग टाइप ओएचई टावर वैगन के लिए निविदा डाली एवं 3 पार्टियों के बीच में तकनीकी रूप से पात्रता प्राप्त कर एच 1 प्राप्त किया।

एचईसी 55 अदद डीजल इलेक्ट्रिक अंडर स्लंग टाइप ओएचई टावर वैगन के लिए टेंडर में सम्मिलित हो रही है।

5. बीआईएफआर एवं पुनरुत्थान पैकेज

बीआईएफआर द्वारा बंद करने के आदेश पारित एवं तदुपरांत एएआईएफआर एवं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अपील के परिणाम स्वरूप एचईसी के पुनरुत्थान के मुद्दे बीआरपीएसई में रेफर किया गया जिसमें एचईसी के पुनरुत्थान पैकेज के लिए 7.10.2005 को सिफारिश की गई। भारत सरकार ने दिसम्बर 2005 में पैकेज अनुमोदित किया। जमीन, भवन, बकाया हटाना और झारखंड सरकार द्वारा फंड उपलब्ध कराने से संबंधित मुद्दे के निपटान के लिए लगातार प्रयास किये गये। अप्रैल 2009 में झारखंड सरकार ने बिजली मद में बकाया राशि एवं उस पर डीपीएस को हटाने, जल प्रभार के बकाया को समाप्त करने तथा रु. 275.51 करोड़ अनुदान देने एवं उनमें से रु. 25.51 करोड़ वाणिज्यिक कर विभाग को देकर बकाया वाणिज्यिक कर देयताएं के निपटान के लिए अपनी सहमति प्रदान की। एचईसी गैर रिहायशीय, रिहायशी भवन जो वर्तमान में झारखंड सरकार को भाड़ा पर दिये गये हैं 2342 एकड़ जमीन (भवन के साथ जुड़े जमीन 85 एकड़ समेत) राज्य सरकार को हस्तांतरण करेगी। उसके अलावे झारखंड सरकार ने सीआईएसएफ को उसके बकाया के निपटारे के लिए उसे 158 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने के लिए एचईसी को सहमति दी। तद्नुसार एचईसी भारी उद्योग विभाग और झारखंड सरकार ने शपथनामा दायर किये। उसके आधार पर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 13.11. 2009 को पुनरुत्थान पैकेज अनुमोदित किया।

कंपनी ने 158 एकड़ जमीन सीआईएसएफ को हस्तांतरित किया। झारखंड सरकार ने 1148 रिहायशी आवास, 17 गैर रिहायशी भवन, उसके साथ जुड़ी 85.11 एकड़ जमीन तथा 1902.64 एकड़ खाली जमीन का अधिग्रहण किया जिसके लिए रु. 275. 51 करोड़ में से रु. 164.21 करोड़ प्रदान किये गये, जिस पर पूर्व में सहमति हुई थी। इसके अलावे बिजली बिल बकाया 31.3.2006 तक और विलंबित अदायगी (डीपीएस) 31.3.08 तक हटा लिया गया।

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के तहत राहत यथा 1.9.2008 से 31.3.2010 तक की अवधि के

डीपीएस हटाना, जल बिल बकाया, तथा अनुदान रु. 111.30 करोड़ के शेष राशि की प्राप्ति 31.03.2007 तक वाणिज्य कर बकाया के निपटान के अभी क्रियान्वयन बाकी है। तद्नुसार झारखंड सरकार के पुनरुत्थान योजना के आंशिक क्रियान्वयन लेखा में लेखाबद्ध नहीं किया गया है।

6. संरक्षा, पर्यावरण तथा प्रदूषण नियंत्रण

आपकी कंपनी सदैव अपने कामगारों के व्यावसायिक संरक्षा एवं स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देती है। बहुतेरे प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से कर्मचारियों के बीच संरक्षा चेतना जगाने के लिए आयोजित किये गये। पूर्ण चिकित्सकीय जांच नियमित रूप से सांविधित मानक के अनुरूप होती है। संरक्षा उपस्करों यथा हैंड ग्लोब्स, गोगल्स, सुरक्षित लिवास, सेफ्टी बेल्ट्स, सेफ्टी शूज आदि कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये। राष्ट्रीय संरक्षा दिवस और एचईसी संरक्षा सप्ताह सभी यूनिटों द्वारा आयोजित किये गये।

कंपनी पर्यावरण प्रदूषण से समझौता नहीं करती है एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी प्रकार की सावधानियां बरती गई है जो निम्नवत है :

* सभी सांविधित अपेक्षाओं जो वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम जल (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम में उल्लिखित है, का अनुसरण किया जा रहा है।
* राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा चालू प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित उल्लिखित नियम शर्तों का अनुसरण किया जा रहा है।
* प्रदूषित जल का नमूना संग्रह कर इसकी नियमित जांच की जा रही है। प्रदूषित जल को नियमानुसार ट्रिटमेंट करने के उपरांत छोड़ा जाता है।
* हवा के संबंध में जानकारी देने के पूर्व आस-पास की हवा की जांच नियमित रूप से होती है, जिससे वायु प्रदूषण का स्तर पता चलता है।
* नियमित रूप से वन विभाग की सहायता से एचईसी परिसर को हरा-भरा करने एवं प्रदूषण कम करने के लिए वन-रोपण कार्यक्रम संचालित किये जा रहा है।

7. मानव शक्ति की स्थिति

कंपनी की मानव शक्ति 1.4.2010 के अनुसार 2870 की तुलना में 31.03.2011 के अनुसार 2769 थी।

8. औद्योगिक संबंध

समीक्षा अवधि के दौरान औद्योगिक संबंध की स्थिति आमतौर पर सामान्य रही। कामगारों के वेतन पुनरीक्षण समझौता ज्ञापन पर 15 मार्च, 2011 को हस्ताक्षर किये गये। तदुपरांत कामगारों के वेतन पुनरीक्षण 01.01.2009 से लागू अगस्त 2011 में क्रियान्वित किया गया।

9. कर्मचारी कल्याण एवं सामुदायिक विकास कर्मचारी कल्याण

कंपनी 250 बेडयुक्त एवं 12 अदद मुख्य स्पेशिलिटी युक्त पूर्ण विकसित अस्पताल का संचालन करती है। सामान्य धारणा है कि अच्छा स्वास्थ्य में अच्छा मस्तिष्क होता है और हर व्यक्ति में सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करता है एवं विश्लेषण कर निदान करता है। निगम के कर्मचारीगण एवं उनके परिवार के आश्रित के सदस्यों का नि:शुल्क इलाज होता है। सेवा निवृत कर्मचारी, उनकी पत्नी या पति को भी इलाज की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावे जन साधारण को भुगतान के आधार पर एचईसी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई गई है।

10. मानव संसाधन विकास

आपकी कम्पनी मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देती है फलस्वरूप कम्पनी ने अपने निष्पादन में सचमुच काफी सुधार किया है और विगत 5 वर्षों से विशुद्ध मुनाफा अर्जित करते आ रही है। हमारा प्रयास की सराहना एशिया पेसिफिक एचआरएम कांग्रेस 2010 में की गई जो सितम्बर 2010 में बंगलोर में आयोजित 'अनलिजिंग पोजिटिविटी इन द वर्क प्लेस' के मूल विषय के साथ विश्लेषण किया गया।

कंपनी द्वारा कर्मचारियों के बच्चों एवं अन्य निकटवर्ती इलाकों के बच्चों के लिए दो स्कूल संचालित किये जा रहे हैं।

11. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्थिति

(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या 01.04.2011 के अनुसार क्रमश: 337 एवं 539 है।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का प्रतिशत कुल मानवशक्ति का क्रमश: 12.17% एवं 19.47% है।

(3) वर्ष 2010-11 के दौरान 112 नियुक्तियों में से 19 अनु. जाति एवं 13 अनु. जनजाति के उम्मीदवार हैं।

12. हिन्दी के प्रगामी प्रयोग

भारत सरकार के दिशा निर्देश के तहत कार्यालयीन कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग बढ़ाने एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने वास्ते राजभाषा विभाग सक्रिय प्रयास कर रहा है।

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. सभी अंग्रेजी टाइपिस्टों एवं स्टेनोग्राफरों के हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलेखन में प्रशिक्षित किया गया।
2. सभी कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्रदान करने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये गये।
3. वर्ष के दौरान नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक आयोजित की गई।
4. राजभाषा नीति के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विविध जांच बिन्दु बनाये गये हैं तथा क्रियान्वयन में पाई गई कमियों की ओर विभागाध्यक्षों का ध्यानाकृष्ट किया गया है। दृढ़तापूर्वक नियमों को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।
5. राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के तहत अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं यथा – निबंध लेखन, भाषण, काव्य पाठ, टिप्पण/प्रारूप लेखन, टंकण के साथ-साथ राजभाषा शील्ड एवं हिन्दी में सर्वोत्तम कार्य प्रतिस्पर्द्धा आयोजित की गई। विजयी प्रतिभागियों को हिन्दी दिवस समारोह में पुरस्कार प्रदान किये गये। इसके अलावे दो हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें कर्मचारियों के लाभार्थ गहन हिन्दी का प्रशिक्षण दिया गया।

13. अनुषंगी एवं लघु इकाइयों का विकास

आपकी कंपनी ने अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए तुपुदाना के नजदीक राँची औद्योगिक विकास प्राधिकरण की सहायता से नियोजन के अवसर मुहैया कराने के साथ-साथ वैयक्तिक उद्यमिता हेतु अनुषंगी क्षेत्र विकसित किया गया है।

लघु इकाइयों के साथ आपसी सहयोग और एचईसी के विकास के अनुरूप नये क्षेत्रों में प्रविष्टि से संबंधित नियमित वार्ताएं होती हैं।

14. सतर्कता कार्यकलाप

सतर्कता के मामले में कंपनी हमेशा चौकस रही है और वर्ष 2010-11 के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा समय-समय पर निरंतर औचक निरीक्षण किया गया। कर्मचारियों के बीच में केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देश/प्रक्रियाओं, अनुशासनिक जांच प्रक्रियाँ, भरष्टाचार निवारण में उनकी भूमिका आदि पारदर्शिता की आवश्यकता एवं निष्पक्ष कार्य प्रणाली विषय पर प्रशिक्षण के माध्यम से जागरूकता पैदा की गई। वर्ष के दौरान इस प्रकार के 18 कार्यक्रम संचालित किये गये। इसके अलावे सीवीओ/सतर्कता अधिकारियों ने एचईसी के वरीय कार्यपालकों/कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से भ्रष्टाचार मुक्त कार्य एवं कार्य में पारदर्शिता लाने एवं सकारात्मक सोच में विकास के लिए पारस्परिक वार्ताएं की है। कार्य में पारदर्शिता लाने एवं टेक्नोलोजी में विकास के लिए वर्ष के दौरान ई-प्रोक्यूरमेंट/टेंडरिंग पद्धति लागू की गई। समय पर शिकायत एवं जांच के निष्पादन के प्रयास किये गये।

सीवीसी दिशानिर्देश के अनुसार सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया। कर्मचारियों के बीच सतर्कता से संबंधित जागरूकता में वृद्धि लाने के लिए निबंध/क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

15. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अनुरोध/अपील का निष्पादन

कंपनी हमेशा पारदर्शिता पर बल देती है और प्राथमिकता के आधार पर सूचना मांगे जाने पर समय पर सूचना देती है।

16. गुणवत्ता नियंत्रण

आपकी कंपनी अपने उत्पादों के गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं करती है। ग्राहकों की भरपूर संतुष्टि के मुद्दे नजर कंपनी ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए अनेक उपाय किये हैं इसके लिए तीनों प्लांटों हेतु केन्द्रकृत गुणवत्ता आश्वासन विभाग कार्यरत है। उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मानकों को प्रासंगिक भारतीय मानकों एवं आईएसओ 9001-2000 के अनुरूप अपनाया जा रहा है।

17. ऊर्जा अंकेक्षण

ऊर्जा अंकेक्षण सीमित स्तर पर पेट्रोलियम कंजरवेशन रिसर्च एसोसिएशन (पीसीआरए) द्वारा 2004-05 में हीट ट्रीटमेंट/री हिटिंग फर्नेस के लिए वर्तमान में उपयोग में आने वाली प्रोड्यूसर गैस के अलावे अन्य वैकल्पिक ईंधन के प्रयोग पर अध्ययन किया जा रहा है।

चूँकि फाउन्ड्री फोर्ज यूनिट मुख्य ऊर्जा खपत यूनिट है, अतएव इस यूनिट के ऊर्जा अंकेक्षण वाह्य एजेंसी मेसर्स इनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लि. (ईईपीएल) द्वारा ाकिया गया। प्रोड्यूसर गैस प्लांट के आधुनिकीकरण के अलावे फर्नेस प्रचालन के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनेक परामर्श दिए गये।

18. अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी समावेशन, रूपांतरण और नवीनीकरण, ऊर्जा संरक्षण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (1) तथा कंपनी (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्योरों का खुलासा) नियमावली 1988 की अपेक्षानुसार अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी

समावेशन, रूपांतरण, नवीनीकरण के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण के ब्योरे अनुलग्नक 'अ' में उल्लिखित है।

19. निदेशकीय दायित्व के ब्योरे

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा की तैयारी में विशिष्ट विभिन्नताओं से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित उपयुक्त लेखा मानकों का अनुसरण किया गया है।

2. निदेशकों ने ऐसे न्यायसंगत लेखा नीति का चयन कर अनुमान लगाया है कि लेखा युक्ति संगत और विवेकपूर्ण हो और समीक्षा वर्ष के दौरान कंपनी की स्थिति सत्य एवं उचित प्रतीत हो सके।

3. निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तता धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं खोज के लिए यथेष्ट अभिलेख के अनुरक्षण हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

4. निदेशकों द्वारा 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखा को सुनाम संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।

20. वर्ष के अनुसार रु. 49.91 करोड़ विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ।

21. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अधिन सूचना

किसी भी कर्मचारी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अधीन 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान यथा निर्धारित सीमा से अधिक का पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया गया। यह कंपनी (कर्मचारियों के व्यौरे) नियमावली, 1975 के साथ पठनीय है)।

22. निगमित शासन

निगमित शासन की रिपोर्ट अनुलग्रक 'ब' पर है।

23. सांविधित लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए मेसर्स अंजलि एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स, राँची को कंपनी के एकल सांविधित लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

24. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा सांविधित लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ एवं उस पर प्रबंधन के उत्तर

31.03.2011 को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सीएजी द्वारा आपकी कंपनी की लेखा समीक्षा सांविधित लेखा परीक्षक अवलोकन और उस पर प्रबंधन के उत्तर सहित अनुलग्नक 'स' में प्रस्तुत है।

25. निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान एचईसी के बोर्ड में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन), निदेशक (उत्पादन) के अलावे दो अंशकालीन आधिकारिक निदेशक थे।

वर्ष के दौरान बी. के. श्रीवास्तव, गैर अधिकारिक निदेशक, श्री एस. के. चौधरी, निदेशक (उत्पादन) पद से मुक्त हुए। उनके एचईसी लि. के निदेशक मंडल कार्यकाल के दौरान किये गये उल्लेखनीय कार्य एवं बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

26. अंकेक्षण कमेटी

चूँकि एचईसी लि. के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, इसलिए अंकेक्षण कमेटी का पुनर्गठन नहीं हो सका।

27. आभारोक्ति

बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त समर्थन एवं दिशानिर्देश के लिए कृतज्ञता ज्ञापन करता है। बोर्ड खासकर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय को कंपनी के पुनरुत्थान में लगातार सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

कंपनी झारखंड सरकार को कंपनी के पुनरुत्थान प्रक्रिया में सभी प्रकार के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है।

कंपनी सभी सप्लायर्स, बैंक, वित्तीय संस्थान, भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं सांविधिक लेखा परीक्षकों समेत सभी पदधारियों से प्रदत्त सदैव सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है।

अंत में बोर्ड एचईसी परिवार के सभी सदस्यों के प्रति एहसानमंद है जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत एवं निष्ठा से कार्य कर कंपनी को अगले वर्ष में भी लाभप्रद बनाया एवं विकास में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया।

निदेशक मंडल की ओर से

(जी. के. पिल्लई)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक 'अ'

अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी समावेशन, रूपांतरण, नवीनीकरण तथा ऊर्जा संरक्षण

अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप

वर्ष के दौरान कंपनी अपनी प्रौद्योगिकी को विकसित एवं उत्पादों/पद्धतियों को उन्नत बनाने के लिए सदैव प्रयास रही है।

I. कंपनी द्वारा निष्पादित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप के विशिष्ट क्षेत्रों के व्योरे निम्नवत है :

i. **संशोधित कोक क्वेंचिंग कार के पेटेंट :**

कोक क्वेंचिंग कार जिसके लिए कंपनी को पेटेंट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, उसे आर एस पी, राउरकेला आपूर्ति की गई है। पेटेंट की स्वीकृति 06.12.2010 को 31 मार्च 2005 से प्रभावी 20 वर्षों के लिए प्रदान की गई। वर्तमान अन्वेषण उन्नत कोक क्वेंचिंग कार प्रदान करता है जिसमें सतह क्वेंचिंग की व्यवस्था है और वाह्य गेट खुलने की व्यवस्था है। वर्तमान अन्वेषण में बॉटम क्वेंचिंग एरेंजमेंट, बॉटम और आउटर गेट ओपनिंग एरेंजमेंट से हॉट कोक क्वेंचिंग के लिए है। जिसमें साईड के साथ-साथ हॉट कोक को एक समान क्वेंचिंग के लिए फिलहाल की अवधि के लिए जल रखना एवं जल आपूर्ति की जाती है ताकि क्वेंच्ड कोक में मॉयस्चर 4% से कम सुनिश्चित किया जा सके।

पूर्व में कोक क्वेंचिंग कार में हॉट कॉक की क्वेंचिंग मात्र ऊपर से कोक क्वेंचिंग टावर से जल का छिड़काव किया जाता था। जब ऊपर से जल छिड़काव किया जाता है तो ऊपर क्वेंच्ड हो जाता है परन्तु बॉटम सतह समुचित रूप से क्वेंच्ड नहीं होता है। बॉटम हॉट कोक की भी क्वेंचिंग हेतु ऊपर से ज्यादा जल छिड़काव की जरूरत पड़ती है। फलतः कोक की क्वेंचिंग एक समान नहीं होती है और क्वेंच्ड कोक में मॉयस्चर किसी प्रकार से नियंत्रित नहीं होता है।

ii. **प्राइमरी/सेकेंन्ड्री हैमर क्रसर**

स्क्रू/नट मेकेनिज्म की सहायता से प्राइमरी एण्ड सेकेन्ड्री हैमर क्रशर के टॉप कवर एसेम्बली के मैनुअल ओपेनिंग/क्लोजिंग के पूर्व डिजाइन को संशोधित किया गाय और अब यह सोलेनॉयड कंट्रोल वाल्व के साथ हाइड्रोलिक सिलिंडर और हाइड्रोलिक पावर पैक के द्वारा संचालित होगा। इस पद्धति की जांच शॉप में सफलतापूर्वक की गई। इसका क्रियान्वयन आर एस पी, राऊरकेला को आपूर्ति की जाने वाली 250/150 टी एच पी क्षमता की हैमर क्रशर मशीन में किया जा रहा है।

II. आयात प्रतिस्थापन प्रयास

निम्नांकित मुख्य आइटमों का निर्माण कर आपूर्ति की गई :

* 3000 एमएम टेबल डाया के सीएनसी वर्टिकल बोरर।
* सीआईएल अनुषंगी इकाइयों के लिए 9 अदद 5 क्यूबिक मी. रोप शॉवेल एवं 1 अदद वाकिंग ड्रैगलाइन।

III. प्रौद्योगिकी समावेशन, रूपांतरण तथा नवीनीकरण

i. नवीनतम विसेषता के साथ विशेष प्रयोजनार्थ सीएनसी रेलवे मशीन टूल्स यथा अटोमेटिक ऑपरेटर गाइडेंस सिस्टम का विकास। ये मशीनें मेसर्स हेगेनचीड के सहयोग से विकसित की गई जो ग्राहक के निरीक्षण के अधीन है।

ii. उन्नत उत्पाद वास्तविक मांग के मुताबिक ग्राहकों को प्रस्ताव दिया गया और सार्वभौमिक प्रतिस्पर्द्धा में कार्यादेश प्राप्त किया गया। निरंतर अनुसंधान एवं बेहतर प्रौद्योगिकी अभिग्रहण और उपस्करों में न्यूनतम रिजेक्शन के माध्यम से लागत में कमी लाकर उत्तम उत्पाद के लिए लगातार प्रयोग निष्पादित किये जा रहे हैं।

iii. **सिंगल स्पोंट कोक पुशर**

ट्रैवेल मेकेनिज्म, डोर एक्सट्रेक्टर, फ्रेम क्लिनर, डेर क्लीनर तथा लेवेलर डोर ओपनिंग एण्ड क्लोजिंग मेकेनिज्म के प्रचालन में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि रेल ट्रैक के विद्यमान सिविल फाउन्डेशन के अनुमत सीमा के भीतर अधिकतम ह्वील लोड रखा जा सके।

क) ट्रैवेल मेकेनिज्म : ट्रान्समिशन सिस्टम में विद्यमान कोक पुशर के दोनों ड्राइविंग ह्वील के ओपन गियरिंग के माध्यम से ट्रॉर्ग ट्रान्समिशन के कारण आने वाली लगातार असुविधा को दूर करने वास्ते बदलाव लाया जा रहा है।

उन्नत डिजाइन में गियर बॉक्स के आउट पुट सॉफ्ट गियर कप्लिंग के माध्यम से ड्राइविंग ह्वील पर सीधे दोहरा प्रभाव होगा। इसके अलावे बफर के प्रचालन अपने स्ट्रक्चर पर पुनर्स्थापन द्वारा उन्नत किया जा रहा है।

ख) डोर एक्सट्रैक्टर : न्यू लीक प्रुफ डोर्स प्रचालन हेतु डिजाइन में परिवर्तन–लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रान्सड्यूसर या प्रत्येक ओवेन तथा वर्टिकल कम्पेंसेशन हेतु डोर की दिशा स्थिति के साथ हाइड्रोलिक सिलिंडर लगाया गया जो सफाई निष्पादन के उपरांत एक्सट्रैक्टेड डोर के वास्तविक स्थिति में सहायता करता है। दरवाजा के ताला जुगत में हाइड्रोलिक सिलिंडर द्वारा परिचालित कर सुधार किया गया।

ग) फ्रेम क्लिनर : फ्रेम क्लिनर के डिजाइन सहज एवं सुविधायुक्त बनाने हेतु इसमें सुधार किया गया। स्लिविंग मेकेनिज्म को एक समान सुधार किया गया जैसा कि डोर एक्सट्रेक्टर में किया जा रहा है।

घ) डोर क्लिनर : डोर क्लिनर के डिजाइन सहज एवं सुविधायुक्त हेतु सुधार किया गया।

ङ) लेवेलर डोर ओपेनिंग एण्ड क्लोजिंग मेकेनिज्म : लिंकेज का समुचित प्रचालन हेतु पुनर्अभिकल्पन किया जा रहा है। लेवेलर डोर के पोजिशन को लेवेरल डोर के ऑपेनिंग एण्ड क्लोजिंग हेतु लिनिअर डिस्प्लेसमेंट ट्रान्सड्यूसर के साथ हाइड्रोलिक सिलिंडर द्वारा कार्य कराया जा रहा है। लेवेलर मफ लेवेलिंग के दौरान इमिशन नियंत्रम के लिए लागू किया जा रहा है।

कोक पुशर के समस्त निष्पादन वीएफडी कंट्रोल, पीएलसी, एलटीडी, इंकॉडर्स और प्रॉक्सीमिटी स्विच प्रदान कर उन्नत बनाया जायेगा।

iv. आर पी डी में सुविधाओं का उन्नयन

समस्त साइकिल में कमी लाने वास्ते डिजाइन में तीव्रता तथा अधिक परिशुद्धता लाकर उन्नत किया गया। 2 डी से 3 डी धारणा तक माइग्रेशन नवीनीकरण भाग के रूप में आमने-सामने किया गया और तद्नुसार डिजाइन तथा विश्लेषण के लिए सॉफ्टवेयर चयनित किया गया। डिजाइन एण्ड ड्रॉविंग मैनेजमेंट सिस्टम लैन पर क्लायंट एण्ड सर्वर आर्किटेक्चर आधारित बनाया गया है।

IV. ऊर्जा सरक्षण :

कंपनी के फाउन्ड्री फोर्ज यूनिट बहुत बड़ी ऊर्जा खपत इकाई है जो कुल विद्युत ऊर्जा के 75% से अधिक और 100% कोयला खपत करता है। वर्ष 2007-08 के दौरान मेल्टिंग एरिया में खास कर विद्युत खपत में वास्तविक कमी लाकर मेल्टिंग साइकिल में कमी लाई गई। हालांकि वर्ष 2008-09 में उच्च गुणवत्ता पूर्ण इस्पात के उत्पादन की वजह से ऊर्जा की खपत में वृद्धि हुई। इसके अलावे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस को उन्नयन करने की आवश्यकता है क्योंकि इसे साठ दशक में संस्थापित किया गया था। उन्नयन में विलंब से विशेष ऊर्जा खपत प्रभावित हुआ है। मेल्टिंग क्षेत्र में ऊर्जा खपत निम्नवत है :—

	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
प्रति टन लिक्विड मेटल प्रोडक्सन में ऊर्जा खपत (के डब्लू एच)	960.31	937.35	981.46	868.72	1029.69

कंपनी फाउन्ड्री फोर्ज यूनिट में ऊर्जा संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाये हैं :—

फाउन्ड्री फोर्ज यूनिट में समस्त ऊर्जा खपत एवं विशेष ऊर्जा खपत में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं :—

* ऊर्जा की अधिकतम मांग में उचित लोड प्लानिंग द्वारा कमी लाना।
* उच्च ऊर्जा दक्षता के प्रेसर सोडियम वेपर लैंप/ट्यूब लाइचट्स का उपयोग करना।
* स्टैटिक ट्रान्सफॉर्मर और रैक्टिफायर्स के इस्तेमाल द्वारा एमजी सेट्स का प्रतिस्थान।
* फर्नेस में सेरामिक लाइनिंग उपलब्ध कराकर तथा इलेक्ट्रिक पिट फर्नेस में प्रोग्रामयुक्त कन्ट्रॉलर स्थापित कर ईंधन खपत में कमी लाना।
* मेल्टिंग फर्नेस आदि के लिए हीट साइकल टाइम में कमी लाना।
* लोड सेंटर पर डिसेन्ट्रलाइज्ड एयर कम्प्रेसर के साथ सेन्ट्रलाइज्ड कम्प्रेसर यूनिट का प्रतिस्थापन।
* प्रकाश के लिए सूर्य की रोशनी हेतु प्रोडक्शन शॉप की छत में पारदर्शी शीट के उपयोग का प्रावधान।

फाउन्ड्री फोर्ज यूनिट के 2650 टन प्रेस के अपग्रेडेसन प्रोग्राम में विलंब की वजह से निष्पादन प्रत्यक्ष एवं बुरी तरह से प्रभावित रहा। इस क्षेत्र में ऊर्जा खपत अर्द्ध परिवर्तनीय है, अतएव विशेष ऊर्जा खपत में बिजली, कोयला एवं डीजल में समग्र कमी के बावजूद वृद्धि हुई। फिलहाल के वर्षों के दौरान एफ एफ पी के प्रति टन प्रत्यक्ष निष्पादन निम्न है :—

विवरण	प्रति टन उत्पादन खपत यूनिट			
	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
बिजली (केडब्लूएच)	2904.83	2554.47	2421.87	2436.91
कोयला (एमटी)	5.55	4.62	4.49	4.32
डीजल (लीटर)	24.11	24.62	20.35	18.93

अनुलग्नक 'ब'

निगमित शासन की रिपोर्ट

(31.03.2011 के अनुसार)

निदेशकगण निगमित शासन से संबंधित कंपनी के कार्यकलाप प्रस्तुत करते हैं :

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचईसी लि.) पारदर्शी व्यापारिक कार्यकलाप में विश्वास करता है और कंपनी से संबंध रखने वाले सारे लोगों को उचित सम्मान भी देता है यथा — ग्राहकगण, सप्लायर्स, भारत सरकार भारी उद्योग मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, बहुतेरे राज्य सरकारें, अन्य सरकारी एजेंसी/विभाग एवं बड़े पैमाने पर समाज अनिवार्य रूप से बेहतर शासन प्रदान करता है। यह निश्चित रूप से अच्छा निगमित शासन नीति के अनुरूप कार्य करता है। एचईसी प्रतिबद्धता, जवाबदेही तथा उपक्रमों की समृद्धि के अधिकतम स्तर की प्राप्ति के द्वारा ईमानदारी एवं निष्ठा में विश्वास करता है। एचईसी ने अपनी गरिमा सुनिश्चित कर घरेलू ग्राहकों के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों के बीच अपनी खास पहचान बनाई है।

एचईसी सभी प्रकार के कानून का अनुसरण करती है एवं स्वस्थ सम्बन्धी में विश्वास करती है तथा प्रबंधन की नीतियाँ/निर्णय को प्रभावशाली ढंग से मॉनिटर करती है और रणनीति को क्रियान्वित करती है। कम्पनी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वरीय प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

एचईसी लेटर और स्प्रिट द्वारा बेहतर निगमित शासन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्प्रिट ऑफ कोड के मद्देनजर कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार गठित कमेटी के कार्यक्षेत्र को विस्तृत एवं मजबूत बनाया गया है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल कंपनी द्वारा निष्पादित किये जाने वाले मुख्य कार्य/कार्यकलापों का निरीक्षण करता है। बोर्ड निगमित निष्पादन के अनुवीक्षण समेत रणनीति एवं व्यापारिक योजना को भी समीक्षा एवं अनुमोदन करता है।

एसोसिएशन की धारा के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी के निदेशकों की संख्या न दो से कम होगा और न पन्द्रह से अधिक होगा। निदेशक को किसी प्रकार के योग्यता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।

रिपोर्ट की तिथि के अनुसार एचईसी के बोर्ड में छह निदेशक हैं जिसे दो श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, यथा (1) कार्यकारी निदेशक (पूर्णकालिक), (2) सरकार द्वारा मनोनीत आधिकारिक निदेशक/बोर्ड में (अ) अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), तीन कार्यकारी निदेशकगण यथा — निदेशक (वित्त), निदेशक (विपणन) तथा निदेशक (उत्पादन) (ब) दो भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा आधिकारिक निदेशक सामिल हैं। सीएमडी समेत निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और कार्यावधि भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित की जाती है।

निदेशकों को देय पारिश्रमिक/क्षतिपूर्ति भी भारत सरकार द्वारा नियत किया गया है और अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक कार्यकारी (पूर्ण कालिक) निदेशक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाता है।

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक

(क)	श्री जी. के. पिल्लई	– अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(ख)	श्री आर. मिश्रा	– निदेशक (वित्त)
(ग)	श्री भरत प्रसाद	– निदेशक (विपणन)
(घ)	श्री कुशल साहा	– निदेशक (उत्पादन) (20.06.2011 से)
(च)	श्री एम आर वेणुगोपाल	– निदेशक (कार्मिक) (मृत्यु की वजह से 20.05.2010 से निदेशक पद से मुक्त)
(छ)	श्री एस के चौधरी	– निदेशक (उत्पादन) (सेवानिवृत्ति के कारण 31.08.2010 से निदेशक पद से मुक्त)

भारत सरकार द्वारा मनोनीत अंशकालिक आधिकारिक निदेशक :

(क) श्री सौरभ चन्द्रा, ए एस एण्ड एफ ए, भारत सरकार

(ख) श्री हरभजन सिंह, संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार

भारत सरकार द्वारा मनोनीत गैर आधिकारिक (अंशकालिक) निदेशक :

(क) श्री वी के श्रीवास्तव : (अपने संगठन से सेवा निवृत्त होने की वजह से 31.07.2010 से निदेशक पद से मुक्त)

बोर्ड की बैठक

बोर्ड की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, राँची या बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थान पर बैठक हो रही हैं। कंपनी सचिव बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करता है।

बोर्ड बैठकों की संख्या :

वर्ष 2010-11 के दौरान चार (4) बैठकें आयोजित की गईं, जिसके व्योरे निम्नवत हैं :—

क्र. सं.	दिनांक	बोर्ड तादाद	निदेशकों की उपस्थिति सं.
1.	08.06.2010	07	07
2.	09.09.2010	05	04
3.	27.12.2010	05	05
4.	24.03.2011	05	05

बोर्ड कार्यसूची एवं सामग्री :

बोर्ड को विश्वास है कि सावधानी पूर्वक कार्यसूची तैयार करना प्रभावशाली बोर्ड बैठक के लिए महत्वपूर्ण है। कार्यसूची में सम्मिलित सभी महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित व्यापक पृष्ठभूमि एवं सूचनाएं उपलब्ध होनी चाहिए ताकि बोर्ड को निर्णय लेने में दिक्कत न हो। कार्यसूची काफी लचीला होनी चाहिए ताकि अप्रत्याशित विकास समायोजित हो सके और बोर्ड का ध्यानाकृष्ट किया जा सके एवं निर्णय लिया जा सके। कार्यसूची पत्र बोर्ड के सदस्यों के बीच आम तौर पर पहले से ही पेश होना चाहिए। बोर्ड सदस्य अध्यक्ष के सम्पर्क के उपरांत कोई भी प्रासंगिक मुद्दे बोर्ड के समक्ष विचारार्थ रखा सकता है।

बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

	निदेशकों के नाम	अवधि	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	बोर्ड बैठक में उपस्थिति की संख्या	अन्य बोर्ड में निदेशकों की संख्या
अ. कार्यपालक निदेशकगण (पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक):					
1.	श्री जी. के. पिल्लई, सीएमडी	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04	01
2.	श्री एम. आर. वेणुगोपाल. निदेशक (कार्मिक)	01.04.2010 से 20.05.2010	—	—	—
3.	श्री आर. मिश्रा, निदेशक (वित्त)	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04	—
4.	श्री भरत प्रसाद, निदेशक (विपणन)	01.04.2010 से 31.03.2011	04	04	—
5.	श्री एस. के. चौधरी, निदेशक (उत्पादन)	01.04.2010 से 31.08.2010	01	01	—
(ब) भारत सरकार द्वारा मनोनीत अंशकालिक आधिकारिक निदेशक :					
1.	श्री सौरभ चन्द्रा	01.04.2010 से 31.03.11	04	04	06
2.	श्री हरभजन सिंह	01.04.2010 से 31.03.2011	04	03	08
(स) अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक					
1.	श्री वी. के. श्रीवास्तव	01.04.2010 से 31.07.2010	01	—	—

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सदस्यगण,

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

राँची।

1. हमने हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेसन के 31 मार्च 2011 के संलग्न तुलन पत्र एवं उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कंपनी के लाभ-हानि का अंकेक्षण किया है। इन वित्तीय व्योरे का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है और हमारा दायित्व अपने द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर इस वित्तीय व्योरे पर अपनी राय व्यक्त करनी है।

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार निष्पादित किया है जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम योजना तैयार कर लेखा परीक्षण युक्ति संगत आश्वासन की प्राप्ति के लिए निष्पादित करें ताकि वित्तीय व्योरे गलत महत्वपूर्ण विवरण से मुक्त हो। लेखा परीक्षा में शामिल है - वित्तीय व्योरे में दी गई राशियों व खुलासों के सबूतों को जांच के आधार पर परीक्षण/प्रयोग किये गये लेखा सिद्धान्तों का निर्धारण, प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलन के साथ-साथ समस्त वित्तीय व्योरे की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा परीक्षा में शामिल है। हमें विश्वास है कि लेखा परीक्षा हमारी राय में युक्तिसंगत आधार प्रदान करता है।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (4 ए) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (लेखा परीक्षख रिपोर्ट) आर्डर, 2003 के अपेक्षानुसार हमने यथोचित जांच पड़ताल के बाद उक्त आदेश के पैरा 4 एवं 5 में उल्लिखित मामलों को अनुलग्नक-2 में संलग्न किया है।

4. इसके अलावे उपर्युक्त संदर्भित अनुलग्नक में हमारी टिप्पणियाँ, हम रिपोर्ट करते हैं कि —

क) हमने सभी प्रकार की सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो लेखा परीक्षण के प्रयोजनार्थ हमारी जानकारी एवं विस्वास के लिए आवश्यक है।

ख) हमारी राय में कम्पनी केपास विधिसम्मत अपेक्षित लेखा बहियां हैं जो परीक्षण हेतु प्रस्तुत की गई थी।

ग) इस रिपोर्ट से सम्बद्ध तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा कैश फ्लो व्योरे लेखा बही के अनुरूप है।

घ) हमारी राय में तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा तथा कैश फ्लो व्योरे लेखा मानक के अनुरूप है जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 की उप धारा (3 सी) से संदर्भित है।

च) कंपनी मामले के विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जीएसआर 829 (ई), दि. 21.10.2003 के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।

छ) हमारी राय में प्रस्तुत की गई सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कथित लेखा अन्य लेखा नीतियों एवं लेखा टिप्पणियों के साथ पठनीय है जो कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा प्राप्त अपेक्षित सूचनाएं लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप सत्य एवं तथ्य परक है जो सामान्यतया भारत में स्वीकृत है। यह रिपोर्ट के एक भाग में अनुलग्नक-1 पर अंकेक्षण कथन के साथ पठनीय होगा।

अ) तुलन पत्र में 31 मार्च 2011 के अनुसार कंपनी की स्थिति।

ब) लाभ एवं हानि लेखा की स्थिति में उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष का लाभ।

स) कैश फ्लो स्टेटमेंट में उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष में कैश फ्लो का विवरण।

कृते अंजलि जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

सीए अंजलि जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. - 72022
एफआरएन 003247सी

स्थान : राँची
दिनांक : 22.8.2011

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 का उत्तर

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	उत्तर
1. रु. 1458.032 लाख समेत प्रोजेक्ट डिवीजन की देनदारियां के अनुसार कम्पनी के पक्ष में है। पार्टी (प्रतिवादी) ने माननीय दिल्ली न्यायालय में अपील की है जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। पार्टी ने पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है। इस समय इस बिन्दु पर उपर्युक्त उल्लिखित देनदार की राशि पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं क्योंकि यह न्यायिक प्रक्रियाधीन है।	दावे पर एक मात्र पंच द्वारा पंचाट है जिसकी नियुक्ति सचिव, लोक उद्यम विभाग भारत सरकार दारा की गई है। पंचाट का पुष्टिकरण अपर सचिव, विधि एवं न्याय तथा कंपनी के मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है। इसके अलावे जैसा कि सांविधित अंकेक्षण द्वारा अवलोकन किया गया माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में पार्टी द्वारा दायर याचिका रद्द कर दी गई। अतएव राशि की प्राप्ति के संबंध में अनिश्चितता नहीं है यद्यपि पार्टी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील की है।
2. रु. 9501.54 लाख की पेनाल्टी लेवी भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अनुच्छेद 14 बी के तहत लगाई गई जिसे लेखाबद्ध एवं लेखा में प्रावधान नहीं किया गया है। उल्लिखित रकम आकस्मिक देयता के रूप में दर्शायी गई है। यद्यपि कि कंपनी ने अपीलीय ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी और हर्जाना हटा लेने के लिए माननीय झारखणड उच्च न्यायालय में भी एक याचिका दायर की है परन्तु उच्च न्यायालय के आदेश प्रतीक्षित एवं निर्णय लंबित है। हमारे मंतव्य में चालू देयताएँ इस सीमा तक कम दर्शायी गई है और लाभ को उस सीमा तक ज्यादा दिखाया गया है।	यह अनुसूची-25 (लेखा पर टिप्पणियाँ) की टिप्पणी सं. 2 में उल्लिखित है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का इस संबंध में निर्णय लंबित है और आशा की जाती है कि बहुत जल्द निर्णय होगा।

कृते अंजलि जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

सीए अंजलि जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. - 72022

(एस. के. चक्रवर्ती)
महाप्रबंधक (वित्त)
एचईसी

स्थान : राँची

दिनांक : 22.08.2011

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक–2 का उत्तर

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लेखा पर मेसर्स हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण को प्रेषित, लेखा परीक्षक रिपोर्ट के पैरा–3 में संदर्भित अनुलग्नक

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	उत्तर
1. अचल परिसम्पत्ति :	
(अ) कंपनी ने सामान्यत: फर्निचर तथा जुडनार, कार्यालय उपस्कर आदि छोड़कर अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति एवं परिमाणात्मक व्योरे समेत पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हेतु समुचित अभिलेख रखा है।	नोट किया गया।
(ब) वर्ष के दौरान कंपनी की कुछ अचल परिसम्पत्तियों (बिल्डिंग छोड़कर) वाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म द्वारा सभी इकाइयों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हालांकि सत्यापन का मिलान अचल परिसम्पत्तियाँ रजिस्टर के साथ नहीं किया गया है।	वर्ष 2010–11 के दौरान वाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सभी प्लांट, प्रोजेक्ट मुख्यालय, शाखा कार्यालय आदि की परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया।
(स) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार बी आर पी एस ई द्वारा अनुशंसित योजना के तहत एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 17 अदद गैर रिहायशी भवनों तथा 1148 रिहायशी आवासों के साथ जुड़ी 1902.64 एकड़ जमीन झारखंड सरकार के आधिपत्य में है। हमारे विचार में यह यथार्थ में कंपनी की अचल परिसम्पत्ति नहीं है और ऐसे निपटान कंपनी के सुनाम संस्थान की स्थिति प्रभावित नहीं करता।	कोई टिप्पणी नहीं।
2. वस्तुसूची :	
(अ) वर्ष के दौरान वाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स फर्म के द्वारा कच्चा माल का भंडारण तथा स्टोर्स एवं आंतरिक पुरजों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। कच्चा माल एवं स्टोर्स तथा अतिरिक्त पुरजे के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रक्रिया में कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रवृति को देखते हुए सुधार की आवश्यकता है।	भविष्य में दिशा निर्देश के लिए नोट किया गया।
(ब) हमारे मंतव्य एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने अपनी वस्तुसूची के अभिलेखा उपयुक्त ढंग से रखा है। जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि लेखा–बही के रिकॉर्ड की तुलना में वस्तुसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन में विसंगति पाई गई थी, जिसे उपयुक्त प्रावधान के द्वारा वर्ष के अंत में समायोजित किया गया।	कोई टिप्पणी नहीं।
3. ऋण :	
हमारे मंतव्य में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के तहत धारित रजिस्टर में सूचीबद्ध कंपनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों को कंपनी ने किसी प्रकार का प्रतिभूत या अप्रतिभूत ऋण स्वीकृत नहीं किया है। तद्नुसार कारो (CARO) के पैरा 4 के खंड (III) (ए) से (III) (जी) लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	उत्तर
4. आंतरिक नियंत्रण :	
हमारे मंतव्य में एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा परीक्षण के दौरान निष्पादित की गई जांच के आधार पर, हम कह सकते हैं कि आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया सामान्यतया पर्याप्त है। परन्तु कंपनी के आकार एवं इसके व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप वस्तुसूची के क्रय अचल परिसम्पत्ति एवं मालों की बिक्री एवं सेवाएं हेतु इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है।	नोट किया गया।
कुछ मुख्य क्षेत्रों में जहां आंतरिक नियंत्रण पद्धति प्रचालन में है उसे और मजबूत करने की जरूरत है और निम्नांकित बिन्दुओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है :	
(अ) बिल रहित देनदारों से सम्बद्ध बीजक का नियमितीकरण।	(अ) यह एक नियमित प्रक्रिया है यथा शीघ्र सम्पूर्ण संविदात्मक दायित्व समाप्त हो जायेगा। बिल ग्राहकों को जल्द दिया जायेगा।
(ब) प्रेषित माल का समावेशन परन्तु खरीददार का टाइटल हस्तांतरित नहीं है।	(ब) जैसे ही माल डिस्पैच होगा क्रेता को टाइटल पास किया जायेगा तथा क्रेता के परिसर में प्रविष्टि होगी। किसी भी स्थिति में माल वापिस नहीं हो सकता है जब एक बार क्रेता के परिसर में माल प्रविष्ट हो जाता है।
5. साविदा या व्यवस्था से संबंधित हमारी जानकारी में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुरूप अधारित रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार :-	
(अ) कंपनी ने उक्त धारा के तहत धारित रजिस्टर में अधिनियम की धारा 301 से संदर्भित संविदा या व्यवस्था की प्रविष्टि की है।	नोट किया गया।
(ब) ऐसे संविदा या व्यवस्था के अनुसरण में मूल्य आधारित लेन-देन किया है, जो समयानुकूल व्याप्त बाजार भाव के मद्देनजर न्यायसंगत है।	नोट किया गया।
6. जन साधारण से जमा की संस्वीकृति हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 58 एए एवं उसके तहत बनी नियमावली या अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अन्तर्गत जन साधारण से किसी प्रकार का जमा नहीं लिया है।	नोट किया गया।
7. आंतरिक लेखा परीक्षा पद्धति वर्ष के दौरान कंपनी का आंतरिक अंकेक्षण वाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्म के द्वारा निष्पादित कराया गया है तथापि कंपनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति पर ध्यान देते हेु इसमें और अधिक वित्तीय लेन-देन के कवर करने की जरूरत है।	
8. लागत अभिलेख :	
जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (1) (डी) के तहत कंपनी के किसी भी उत्पादन के लिए लागत अभिलेख रख-रखाव निर्धारित नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट — **उत्तर**

9. सांविधिक बकाया :

(अ) कंपनी द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा कर, उत्पाद कर एवं अन्य सांविधिक बकाया समेत अविवादित सांविधित बकाया नियमित रूप से सामान्यतया जमा किया गया है तथा 31 मार्च, 2011 के अनुसार छह महीने से अधिक के देय अविवादित सांविधिक देय बकाया निम्नांकित छोड़ कर नहीं है :—

अधिनियम के नाम	प्रकार	रकम	अवधि
नगर निगम कर अधिनियम	नगर निगम कर	51,50,000	जुलाई 1999 से दिसम्बर 2005

उत्तर: नगर निगम के साथ करार आधारित पुराने बकाया के लिए त्रैमास में भुगतान किया जा रहा है।

(ब) कंपनी द्वारा दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर, सम्पत्ति कर, सेवा कर, सीमा कर, उत्पादकर, कर निम्नांकित को छोड़कर विवादित बकाया नहीं है, जिसे उपयुक्त प्राधिकारी के पास राशि जमा न की गई हो :—

अधिनियम के नाम	आयुक्त/जेसीसीटी/ अपील/सीटीओ (रु.)	ट्रिब्यूनल (रु.)	कुल (रु.)
भविष्य निधि अधिनियम	—	950,153,513	950,153,513
जेएसटी	119,498,000	10,524,000	130,022,000
सीएसटी	127,966,000	14,402,000	142,368,000

उत्तर: लेखा पर टिप्पणी में खुलासा किया गया।

10. रोकड़ हानि :

31 मार्च, 2011 के अनुसार कंपनी की संचित हानि कंपनी के शुद्ध निवल मूल्य से 50% अधिक है। कंपनी को वर्तमान वित्तीय वर्ष में और उसके ठीक पूर्व वित्तीय वर्ष में भी कवर किये गये, हमारे अंकेक्षण के अनुसार नगद हानि नहीं हुई है।

उत्तर: कंपनी के लेखा के अनुसार मालूम होता है कि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010–11 में रु. 42.20 करोड़ का नगद मुनाफा अर्जित किया है।

11. बकाया पुनर्अदायगी :

हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, ऋण पत्र धारकों के बकाया राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है।

उत्तर: कोई टिप्पणी नहीं।

12. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर कंपनी के शेयर ऋण पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों के धरोहर रखने के आधार पर किसी प्रकार के ऋण एवं अग्रिम की स्वीकृति प्रदान नहीं की है।

उत्तर: कोई टिप्पणी नहीं।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट	उत्तर
13. हमारी राय में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी चिट फंड या निधि/पारस्परिक लाभ/सहयोग समितियों के अन्तर्गत नहीं आती है। अतएव कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) के आदेश 2003 के 4 (XIII) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
14. कंपनी के अंकेक्षण के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों एवं अन्य निवेशों से संबंधित व्यवसाय नहीं किया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
15. कंपनी ने बैंकों या अन्य वित्तीय संस्थानों से अन्य पार्टियों द्वारा लिए गये ऋणों को गारंटी प्रदान नहीं की है जिसकी शर्तें मेरे विचार में कंपनी के हित में प्रत्यक्षत: प्रतिकूल है।	कोई टिप्पणी नहीं।
16. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के तुलन-पत्र के समस्त परीक्षण के आधार पर हमारी राय में सावधि ऋण का उपयोग तत्संबंधित प्रयोजनार्थ किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
17. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा कंपनी के तुलन पत्र के समस्त परीक्षण के उपरांत स्पष्ट है कि कंपनी द्वारा किसी प्रकार के लघुकालीन फंड की उगाही दीर्घकालीन निवेश के उपयोग के लिए नहीं की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं।
18. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी पार्टी को किसी अधिमान्य शेयर का आबंटन नहीं किया है और कंपनियों को कंपनी अधिनियम की धारा 301 के तहत धारित रजिस्टर में कवर किया गया है।	कोई टिप्पणी नहीं।
19. कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश 2003 के खंड 4(XIX) एवं (XX) कंपनी पर लागू नहीं है।	कोई टिप्पणी नहीं।
20. कंपनी की लेखा बही के परीक्षण कार्य भारत में सामान्यत: लागू एवं स्वीकृत लेखा परीक्षण के अनुरूप निष्पादित किया गया और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कपटपूर्ण कार्य नहीं किया गया है तथा कंपनी को कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है और न किसी प्रकार की रिपोर्ट की गई है और न प्रबंधन ने ऐसे मामलों की सूचना दी है।	

कृते अंजलि जैन एण्ड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट

सीए अंजलि जैन
(पार्टनर)
सदस्य सं. - 72022

(एस. के. चक्रवर्ती)
महाप्रबंधक (वित्त)
एचईसी

स्थान : राँची

दिनांक : 22.08.2011

अनुलग्नक 'स'

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष के हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय ब्योरे की तैयारी कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट फ्रेमवर्क के अनुरूप है, जो कंपनी प्रबंधन की जिम्मेवारी है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय व्योरे पर मंतव्य व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो व्यावसायिक निकाय दी इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित आश्वास मानक के अनुसार स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित है। यह उनके द्वारा 22 अगस्त, 2011 को निष्पादित लेखा परीक्षा रिपोर्ट है।

हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष पर हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि. के वित्तीय व्योरे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (3) (बी) के तहत पूरक अंकेक्षण कराया है। यह पूरक अंकेक्षण कार्य स्वतंत्र होकर लेखा परीक्षकों को बगैर अधिक कार्यशील पेपर के निष्पादित किया गया है और सांविधिक लेखा परीक्षकों की जांच प्राथमिक रूप से तथा कम्पनी कार्मिक एवं लेखा अभिलेख के कुछ चयनित परीक्षण सीमित है। हमारे द्वारा निष्पादित अंकेक्षण के आधार पर कोई भी महत्वपूर्ण मामले हमारे पास नहीं आया है जिस पर किसी प्रकार की टिप्पणी या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के तहत सांविधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर पूरक टिप्पणी की जा सके।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Msahay

(मनोज सहाय)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक

स्थान : राँची

तिथि : 16.9.2011

क्या हम बेचते हैं

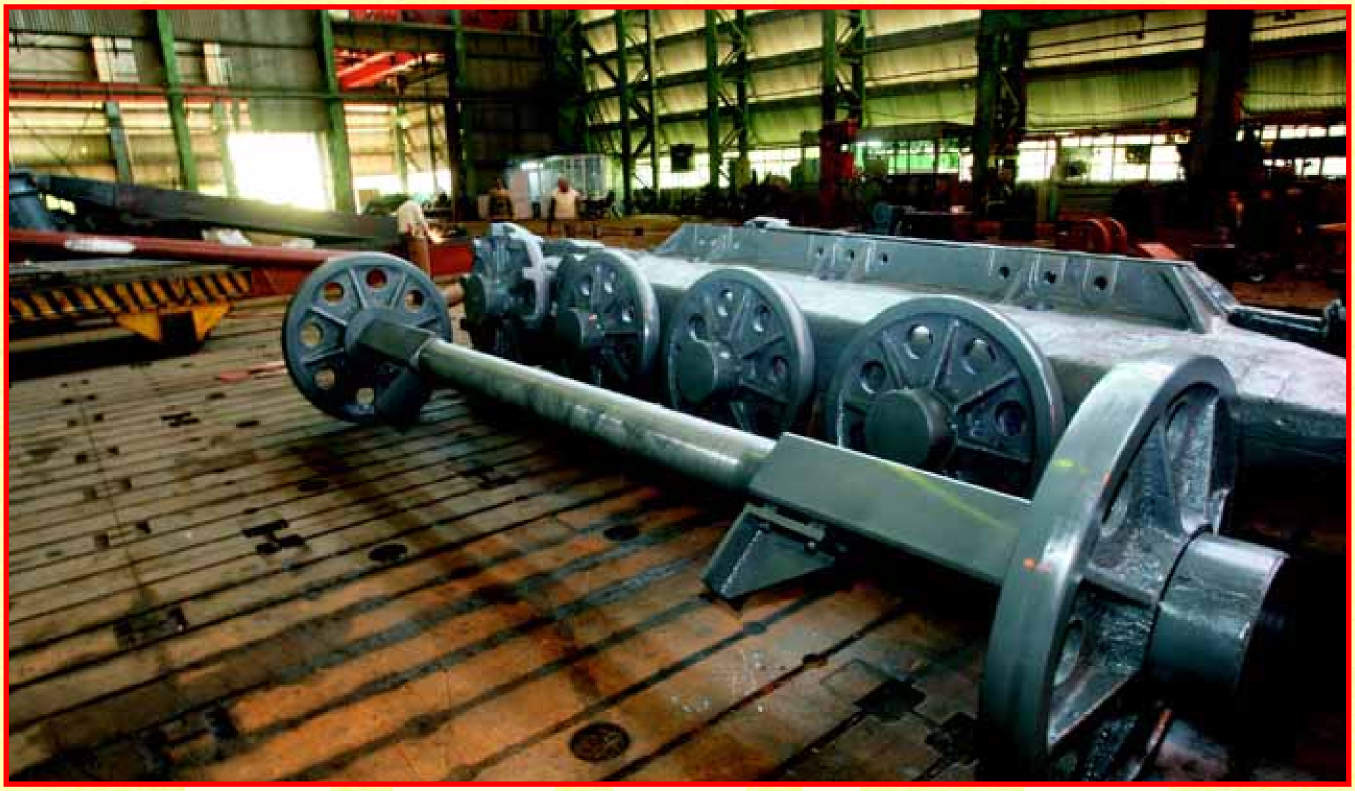

5 क्युबिक मीटर शावेल के स्पेयर्स

300 टन क्रेन ब्रीज का बी.एस.एल. को प्रेषण

क्या हम बेचते हैं

ड्रेगलाइन के लिए 24 क्युबिक मीटर क्षमता के बकेट नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड को प्रेषण

450 टन ई.ओ.टी. क्रेन ट्राली की एसेम्बली 10.02.2011 को प्रेषण के पूर्व

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

राँची – 834 004

हमारा उद्देश्य :

मशीन द्वारा राष्ट्र का निर्माण

तुलन–पत्र
एवं
लाभ और हानि खाता

2010–2011

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण सुनाम संस्थान के लेखा सदृश्य पुरानी लागत प्रथा एवं लेखाकरण जमा प्रणाली के अनुसार तैयार किये गये हैं, जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धान्त के अनुरूप हैं।

2. **अचल परिसम्पत्तियाँ :**

अचल परिसम्पत्तियाँ (राज्य सरकार से प्राप्त नि:शुल्क भूमि को छोड़कर) अर्जन लागत या संचित अवमूल्यन रहित निर्माण के आधार पर उल्लिखित है।

राज्य सरकार से नि:शुल्क प्राप्त भूमि का मूल्य रु. 1 प्रति एकड़ है।

3. **वस्तुसूची मूल्यन :**

क) वस्तुसूची का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित लागत या शुद्ध प्राप्य कीमत, उनमें से जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ख) तैयार माल एवं चालू कार्य का मूल्यन वास्तविक/प्राक्कलित कारखाना लागत या शुद्ध कीमत, इनमें जो कम हो, के आधार पर किया जाता है।

ग) कच्चे माल, उपस्कर, फुटकर औजार, सामग्री, अतिरिक्त पुरजों का मूल्यन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

घ) आइटम जो सामान्यतया अन्तर परिवर्तनीय नहीं है तथा जो उत्पादित माल या सेवाएं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए पृथक किये गये हों, का मूल्यन, वैयक्तिक लागत की विशिष्ट पहचान पर किया जाता है।

ङ) अस्वीकृत एवं रद्दी मालों का मूल्यन समापन खाता दर पर होता है, जहां कच्चा माल के रूप में ुपयोग होता है।

च) उपउत्पादों का मूल्यन बाजार दर पर होता है।

छ) चालू कार्य के पूरा करने का प्रतिशत अर्थात् चालू कार्य के समापन का स्तर तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर शॉप प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

ज) शॉप में निर्गत फुटकर औजारों, रेखांकन औजारों आदि को तकनीकी आधार पर बट्टे में डालकर वस्तुसूची में दिखाया गया है अर्थात् साधारण औजारों को 4 वर्षों में विशेष औजारों को 10 वर्षों में, मॉल्ड्स को 9 वर्षों में एवं अन्य औजारों को प्राक्कलित जीवन के आधार पर बट्टे में डालकर वस्तुसूची में रखा गया है। पैटर्न की कीमत उसके निर्गत वर्ष में दर्शायी जाती है। इन वस्तुओं का केवल मात्रात्मक अभिलेख शॉप स्तर पर जहाँ व्यावहारिक है, रखा जाता है।

4. **राजस्व पहचान :**

क) जब महत्वपूर्ण जोखिम एवं स्वामित्व का लाभ ग्राहकों के पास अंतरण होता है जो बिक्री रिकॉर्ड की जाती है। दीर्घकालीन संविदाओं के लिए आंशिक पूर्तियां जिनके बिल दिए गये हैं का मूल्यन, संविदा मूल्य या अनन्तिम मूल्य पर किया गया है। ऐसे डिस्पैच जिसके लिए चालान एवं गेट पास निर्गत किये गये हैं, लेकिन बिल नहीं दिए गये हैं, को बिल रहित बिक्री के रूप में संविदा या औपबंधिक मूल्य के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

ख) संविदा पर वृद्धि युक्तिसंगत ढंग से सुनिश्चित कर प्रासंगिक संविदा की शर्तों के अनुरूप लेखाबद्ध किया गया है, जिसकी सम्पुष्टि/स्वीकृति ग्राहकों द्वारा होती है। संविदा के प्रावधान या ग्राहकों द्वारा साक्ष्य स्वीकृति के बाद विभिन्नताओं को लेखाबद्ध किया गया है।

ग) बिक्री को उत्पाद शुल्क सहित परन्तु बिक्री कर रहित लेखाबद्ध किया गया है।

5. **दीर्घकालीन टर्न की संविदाएं :**

क) राजस्व पहचान :

कार्य समापन की प्रतिशतता विधि आधारित संविदा की कुल प्राक्कलित लागत में प्रतिवेदित तिथि तक वास्तविक लागत खर्च के प्रतिशत के आधार पर राज्सव की पहचान की गई है।

उपस्कर/पद्धति के सप्लाई/इरेक्शन तथा सिविल कार्य से आय ग्राहकों को प्रेषण एवं प्रोजेक्ट साइट पर निष्पादित काय4 के आधार पर पहचान की गई है। परन्तु वर्ष के अंत में मापी नहीं की गई। अंशत: कार्यान्वित कार्य प्रोजेक्ट साइट पर कार्यरत अभियंता के प्रमाण पत्र के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

ख) चालू कार्य का मूल्यन :

संविदा कार्य के प्रमाणित मूल्य की सीमा तक, वर्षानुवर्ष चालू कार्य पर की गई वृद्धि समेत व्यय को, संबंधित संविदा के अन्तर्गत बिक्री में दिखाई गई राशि को घटाने के बाद चालू कार्य में लेखाबद्ध किया गया है।

ग) हानि के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं, यदि कोई निष्पादित किये जाने वाले कार्य हैं।

6. **वारंटी प्रावधान :**

बिक्री पर 0.5 प्रतिशत का प्रावधान वारंटी/संविदात्मक बाध्यताओं के आधार पर संविदात्मक बाध्यता/वारंटी व्ययों के तहत किया

गया है, जिसे भार ग्रहण के वर्षों में स्वाभाविक शीर्षों के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है।

7. कर्मचारी हित लाभ :

दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ, कर्मचारी की सेवा प्रारंभ करने की तिथि से बारह महीने के उपरांत देय अस्वस्थता अवकाश एवं सेवानिवृत्ति लाभ जैसे — ग्रेच्यूटी, सेवा निवृत्त यात्रा भत्ता और अवकाश नगदीकरण की गणना वार्षिक तीसरी पार्टी बीमांकिक मूल्यन के आधार पर योजनागत यूनिट क्रेडिट प्रक्रिया के द्वारा छूट देकर की गई है एवं अवकाश यात्रा भत्ता (पात्र कर्मचारी हेतु) की गणना प्राक्कलित आधार पर की गई है।

दार्घकालीन कर्मचारी हित लाभ, तुलन पत्र में पहचान की गई है जो दायित्व को वर्तमान मूल्य प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि अचिन्हित विगत सेवा कीमत के लिए समायोजित किया गया है, यदि कोई हो, योजनागत परिसम्पत्ति के उचित मूल्य द्वारा कमी के अनुरूप जहां लागू है, किया गया है तथा बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ और हानि लेखा में एक सीमा तक पहचान की गई है।

बीमांकिक लाभ एवं हानि को संक्रमण दायित्व के अचिन्हित भाग से अधिक की सीमा तक लाभ और हानि लेखा में पहचान की गई है। दीर्घ कालीन कर्मचारी हित लाभ के संबंध में संक्रमण दायित्व को पांच वर्षों से अधिक की अवधि तक सीधी पंजित आधारित व्यय के रूप में पहचान की गई है।

उपदान (ग्रेच्यूटी) और नगदीकरण अवकाश की व्यवस्था तुलन-पत्र तिथि के आंकड़ों के आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

8. कंपनी अधिनियम की अनुसूची-VIV में उपबंधित दर के अनुसार सीधी रेखा विधि के आधार पर अचल सम्पत्ति पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है तथा वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति में वृद्धि/कटौती के संबंध में यथानुपात मासिक आधार पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है। जहाँ प्लांट एवं मशीनरी तथा प्लांट बिल्डिंग की नींव के लागत व्योरे उपलब्ध नहीं वहां प्लांट बिल्डिंग पर लागू दर से अवमूल्यन प्रभारित है।

9. विविध देनदार :

इसमें से बिल शामिल हैं जिनका मूल्य निर्धारण लंबित होने तता ग्राहकों से औपचारिक आदेश न होने के कारण बिल अनन्तिम दर पर दिए गये हैं प्रेषणों के ऐसे मूल्य भी हैं, जिनके प्रासंगिक संविदा के लिए प्राप्त अग्रिम/प्रगति अदायगी के यथानुपात आधार पर समंजन के उपरांत बिल नहीं बनाये गये हैं।

10. सहायता अनुदान :

स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि को इसी मद में खर्च किया गया। सहायता अनुदान के अव्ययित शेष राशि को चालू देयता के शीर्षाधीन बाद के वर्षों के लिए अग्रेनीत किया गया। अन्य राजस्व के लिए प्राप्त अनुदान को तत्संबंधित वर्षों में अन्य आय के रूप में दर्शाया गया है।

11. निवेश :

एक वर्ष से अधिक समय के लिए किए गये/किये जाने वाले अर्थात् दीर्घकालीन निवेश का मूल्यन लागत में से मूल्य की गिरावट (अस्थिर गिरावट को छोड़कर) को घटाकर किया जाता है। चालू उद्धृत से जो कम हो पर किया जाता है।

12. अनुसंधान एवं विकास :

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित मुख्य व्यय भार ग्रहण करने के वर्ष में लाभ एवं हानि लेखा के अन्तर्गत प्रभारित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संबंधी अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय का प्रतिपादन अन्य अचल परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय के अनुरूप ही किया जाता है। ऐसी अचल परिसम्पत्तियों पर मूल्य ह्रास अन्य अनुसंधान एवं विकास व्यय के साथ दर्शाया गया है।

13. विदेशी मुद्रा के लेन-देन :

आस्थगित उधार अदायगी समेत विदेशी मुद्रा लेन-देन से संबंधित मौद्रिक परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तुलन पत्र तिथि के अनुसार बकाया शेष को वर्षांत की दर पर परिवर्तित किया गया है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियां एवं देयताएं तथा प्राप्य लाभ और विदेशी मुद्रा के लेन-देन में हानि के परिवर्तन में अंतर को अचल सम्पत्ति के अर्जन से संबंधित जो अचल सम्पत्ति की लागत में समंजन किये गये हैं, उसे छोड़कर लाभ और हानि लेखा में लेखाबद्ध किया गया है।

14. आस्थगित राजस्व व्यय :

किसी उत्पाद के लिए तकनीकी ज्ञान दस्तावेज और प्रतिवेदन के रूप में विदेशी सहयोग के लिए एकमुश्त अदायगी को आस्थगित राजस्व व्यय के समान माना जाता है एवं पांच वर्षों में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है।

15. कंपनी द्वारा/के लिए दावे :

क) संविदाओं के अनुसार विशेष परिनिर्धारित नुक्सानी को अभिनिश्चयन के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है तथा विशेष नुकसानी के मामलों व कम्पनी द्वारा विवादित दावों

के युक्तिसंगत प्राक्कलन के आधार पर कंपनी द्वारा प्रावधान किया गया है।

ख) वसूल की गई परिनिर्धारित नुकसानी वसूली के तीन वर्ष उपरांत आय के रूप में पहचान की गई है।

ग) निर्यात प्रोत्साहनों, रेलवे एवं बीमा दावे, विविध निपटान योग्य सामग्रियों तथा विशेष स्क्रैपों की बिक्री, उत्पाद एवं सीमा शुल्क की वापस तथा अन्य सदृश्य मदों से प्राप्त आय को राशि के अभिनिश्चयन तथा उनका प्राप्य/दावा की निश्चितता के अधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

16. अंतर प्लांट लागत आबंटन :

निम्नांकित व्यय निम्नवत् वर्गित आधार पर विभिन्न प्लांटों में आबंटित किये गये हैं :—

अ) मुख्यालय व्यय (शुद्ध) : प्रत्येक प्लांट के बजटीय उत्पादन।

ब) टाउनशिप (शुद्ध) : प्रत्येक प्लांट के आबंटित आवास की संख्या।

स) ब्याज : पूर्ववर्ती वर्ष में प्रत्येक प्लांट द्वारा वास्तविक नगद राशि का उपयोग।

द) के. औ. सु. बल व्यय : प्रत्येक प्लांट में के. औ. सु. बल के कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति।

17. वस्तुसूची :

भंडार के अचल वस्तुसूची का विश्लेषण समय-समय पर किया गया है। प्रत्यक्ष सत्यापन में पाई गई अधिशेष सामग्री को को या तो निपटान कर दिया गया है या उसके वैकल्पिक उपयोग के लिए समीक्षा की गई है। यदि कोई हानि हो, तो निश्चित होने पर लेखाबद्ध किया गया है।

31 मार्च, 2011 तक तुलन–पत्र

(रूपये लाख में)

	अनुसूची	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
निधियों का स्त्रोत					
अंशधारकों की निधि					
अंश (शेयर पूंजी)	1		60607.89		60607.89
आरक्षित एवं अतिरिक्त	2		12295.11		12746.58
ऋण निधियाँ					
प्रतिभूत ऋण	3		8965.67		11206.55
	योग		**81868.67**		**84561.02**
निधियों का उपयोग					
स्थायी परिसंपत्तियाँ					
सकल खण्ड		34081.83		33799.09	
घटायें : मूल्य ह्रास अद्यतन		28381.47		27975.19	
निवल खण्ड	5		5700.36		5823.90
पूंजीगत चालू कार्य	6		2537.37		2494.77
निवेश	7		0.36		0.36
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम					
वस्तु सूची	8	23455.37		15930.78	
विविध देनदार	9	50266.67		33497.14	
नकद तथा बैंक अधिशेष	10	2447.86		17698.72	
ऋण तथा अग्रिम	11	2914.50		2123.26	
	योग	79084.40		69249.90	
घटाये : चालू दायित्व तथा व्यवस्था					
दायित्व	12	78552.30		72203.80	
व्यवस्थाएँ	13	17526.72		15330.18	
	योग	96079.02		87533.98	
निवल चालू परिसंपत्तियाँ			(16994.62)		(18284.08)
विविध व्यय (उस सीमा तक बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समंजित नहीं किया गया)					
आस्थगित राजस्व व्यय	14		305.55		392.44
लाभ तथा हानि खाता					
अधिशेष संलग्न खाते के अनुसार			90319.65		94133.63
	योग		**81868.67**		**84561.02**
लेखा पर टिप्पणियाँ	25				

अनुसूची '1' से '14', '25' एवं महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति इन लेखाओं के अभिन्न अंग है।

(ए. के. कंठ)	(एस. के. चक्रवर्ती)	(आर. मिश्रा)	(जी. के. पिल्लई)
कम्पनी सचिव	महाप्रबन्धक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

सम तिथि के अनुरुप हमारी रिपोर्ट

कृते अंजलि जैन एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

(अंजलि जैन) पार्टनर
एम. न. 72022

स्थान : राँची
दिनांक : 22.08.2011

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

(रूपये लाख में)

	अनुसूची		2010–11		2009–10
आय					
कुल बिक्री			68120.59		52852.68
घटाएँ उत्पाद शुल्क			4030.64		3196.65
निबल बिक्री			64089.95		49656.03
आन्तरिक उपयोग के लिए सम्पन्न कार्य		820.04		972.89	
जोड़ें : अन्तर प्लांट हस्तान्तरण		28.38	848.42	16.62	989.51
अर्द्धनिर्मित तथा पूर्णनिर्मित वस्तुओं में अभिवृद्धि/ह्रास	15		5117.05		3126.40
अन्य आमद	16		2118.40		2583.70
		योग	72173.82		56355.64
व्यय					
कच्चे माल तथा अवयवों की खपत		19953.29		17020.44	
घटाएँ अन्तर प्लांट हस्तान्तरण		5082.58	14870.71	4650.84	12369.60
भंडार (स्टोर्स) तथा अतिरिक्त पुर्जो की खपत		23565.02		11142.67	
घटाएँ : अन्तर प्लांट हस्तांतरण		2067.52	21497.50	1292.42	9850.25
अनुसंधान तथा विकास व्यय	17		45.52		6.52
कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सुविधाओं पर व्यय	18		13795.91		13644.17
उत्पादन, प्रशासन, विक्रय तथा वितरण संबंधी अन्य व्यय	19	15074.84		13966.08	
घटाएँ : अन्तर प्लांट हस्तान्तरण		608.28	14466.56	588.83	13377.25
ब्याज	20		92.37		47.19
मूल्यह्रास	5		363.03		338.09
व्यवस्थाएँ	21		1338.91		772.60
नगर क्षेत्र एवं सामाजिक कल्याण पर व्यय	22		1206.40		1036.15
विविध हानि अपलेखन			735.27		1903.35
			3761.64		3010.47
		योग	72173.82		56355.64
वर्ष का लाभ / हानि लाये गये			3761.64		3010.47
पूर्वकालिन आय (खर्च)	23		52.34		1416.60
		योग	3813.98		4427.07
स्वैछिक सेवा निवृत के अन्तर्गत व्यय			0.00		0.06
निबल लाभ (हानि) कर के पर्व			3813.98		4427.01
कराधान के लिए व्यवस्था–फ्रिंज सुविधा कर			0.00		0.00
निबल लाभ / (हानि) कर के बाद			3813.98		4427.01
विगत वर्ष से लाये गये अघोनित शेष हानि			94133.63		106461.36
अतिरिक्त सामान्य आइटम	24		0.00		7900.72
तुलन पत्र में ली गई शेष हानि		योग	90319.65		94133.63
प्रत्येक शेयर आय (अंकित मूल्य 1000/– रु.) मूल (रु.)			62.93		73.04
समायोजित (रु.)			62.93		73.04
लेखा पर टिप्पणियाँ	25				

अनुसूची 15 से 25, 5 एवं महत्त्वपूर्ण लेखाकरण नीति इन लेखाओं के अभिन्न अंग है।

(ए. के. कंठ)
कम्पनी सचिव

(एस. के. चक्रवर्ती)
महाप्रबन्धक (वित्त)

(आर. मिश्रा)
निदेशक (वित्त)

(जी. के. पिल्लई)
अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

सम तिथि के अनुरुप हमारी रिपोर्ट

कृते अंजलि जैन एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

स्थान : राँची
दिनांक : 22.08.2011

(अंजलि जैन) पार्टनर
एम. न. 72022

(रूपये लाख में)

	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010

अनुसूची - 1

अंश पूंजी		
अधिकृत पूंजी	100,000.00	100,000.00
10000000 (विगत वर्ष 10000000) इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000/- के		
निर्गत एवं अभिदत पूंजी		
60,60,788 (विगत वर्ष 60,60,788) इक्विटी शेयर प्रत्येक 1000/- रु. के पूर्णत: भुगतान किए गए जिसमें से 5496 (विगत वर्ष 5496) शेयर के मूल्य नकद में न प्राप्त होकर अन्य रूप में प्राप्त हुए।	60607.88	60607.88
	60607.88	60607.88
शेयर प्रयुक्ति राशि (शेयर आवंटन लंबित)	0.01	0.01
योग	60607.89	60607.89

अनुसूची - 2

आरक्षित एवं अधिशेष		
पूँजी आरक्षित		
प्रारंभिक अधिशेष	12746.58	21118.27
वर्ष के दौरान योग	16.07	0.00
योग	12762.65	21118.27
वर्ष के दौरान विलोपन	0.00	7910.38
वर्ष के दौरान परिशोधन	467.54	461.31
योग	12295.11	12746.58

अनुसूची - 3

प्रतिभूत ऋण		
कार्यशील पूंजी हेतु बैंक से ऋण (कच्चामाल, तैयार माल, चालू कार्य, भंडार और अतिरिक्त पुर्जो एवं खाता ऋण के हाइपोथिकेशन से प्रतिभूत)	8965.67	11206.55
योग	8965.67	11206.55

अनुसूची - 5

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(रुपये लाख मे)

परिसम्पत्तियों के स्वरूप	कुल खंड				मूल्य ह्रास				निवल खण्ड	
	01.04.10 को लागत	योग/ समंजन	कटौती / समंजन	31.03.11 को लागत	31.03.10 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समंजन	31.03.11 तक	31 मार्च 2011 को	31 मार्च 2010 को
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
भूमि	158.97	0.00	0.00	158.97	0.00	0.00	0.00	0.00	158.97	158.97
भूमि विकास	113.78	0.00	0.00	113.78	0.00	0.00	0.00	0.00	113.78	113.78
प्लांट एवं मशीनरी	23058.20	228.56	0.00	23286.76	19835.62	306.71	0.00	20142.33	3144.43	3222.58
प्लांट एवं भवन	4606.80	0.00	0.00	4606.80	4230.21	7.91	0.00	4238.12	368.68	376.59
आवासीय भवन	1260.47	12.48	0.00	1272.95	751.59	20.03	0.00	771.62	501.33	508.88
गैर आवासीय भवन	700.93	0.79	0.00	701.72	374.35	11.09	0.00	385.44	316.28	326.58
सड़क एवं सेतु	272.39	0.00	0.00	272.39	106.73	4.43	0.00	111.16	161.23	165.66
रेलमार्ग एवं पथिकाएँ (साईडिंग्स)	334.67	0.00	0.00	334.67	282.29	2.33	0.00	284.62	50.05	52.38
जल कार्य एवं मल व्यवस्था	589.23	0.00	0.00	589.23	538.11	1.48	0.00	539.59	49.64	51.12
विद्युत संस्थापनाएँ	557.96	6.53	0.00	564.49	508.65	3.17	0.00	511.82	52.67	49.31
मोटर गाड़ी एवं लोकोमोटिवस	274.76	0.00	0.00	274.76	232.04	2.33	0.00	234.37	40.39	42.72
निर्माण एवं अन्य उपकरण	340.06	0.00	0.00	340.06	297.99	0.44	0.00	298.43	41.63	42.07
तथा अन्य कार्यालय उपस्कर	684.63	34.73	0.35	719.01	524.94	33.69	0.00	558.63	160.38	159.69
झारखण्ड सरकार को हस्तान्तरित परिसम्पत्तियाँ										
भूमि	69.03	0.00	0.00	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	69.03	69.03
आवासीय भवन	245.88	0.00	0.00	245.88	148.19	4.01	0.00	152.20	93.68	97.69
गैर आवासीय भवन	531.33	0.00	0.00	531.33	144.48	8.66	0.00	153.14	378.19	386.85
योग	**33799.09**	**283.09**	**0.35**	**34081.83**	**27975.19**	**406.28**	**0.00**	**28381.47**	**5700.36**	**5823.90**
विगत वर्ष के आंकड़े	33705.40	945.95	852.26	33799.09	27619.05	356.80	0.66	27975.19	5823.90	
चालू अवधि मूल्यह्रास				363.03						
पूर्वकालिन मूल्यह्रास				0.31						
अनुसूची "22" में दर्शाया गया मूल्यह्रास				42.94						
कुल मूल्यह्रास				406.28						

टिप्पणी :-

1. आवासीय भवनों में 6743 अदद् (विगत वर्ष 6743 अदद) लीज पर दिए गए भवन शामिल हैं, जिसकी लागत 807.08 लाख रु. (विगत वर्ष 807.08 लाख रु.) है। ह्रासित मूल्य 344.88 लाख (विगत वर्ष 358.04 लाख रु.)।
2. एच.ई.सी. के पक्ष में 7199.53 एकड़ के भू-विलेख हस्तान्तरण में शामिल है, 2313 एकड़ राज्य सरकार से प्राप्त बिना लागत की भूमि तथा 316.19 एकड़ ऐसी भूमि जिसे बिहार सरकार ने स्वत: अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को हस्तान्तरण किया है और सी.आई.एस.एफ. को हस्तान्तरित 158 एकड़ जमीन भी शामिल है।
3. भूमि की लागत में शामिल है 362.99 एकड़ की भूमि जिसे 16.91 लाख रु. में लीज पर दिया गया है।
4. सम्पूर्ण परिसम्पतियों सहित स्थायी परिसम्पती 1595.36 लाख रु. डब्लूडीभी 79.77 लाख रु. जिसके लिए आवश्यक प्रवाधान किया गया है।

अनुसूची - 6

पूंजीगत चालू कार्य लागत खर्च

प्लांट एवं मशीनरी	3408.31		3365.71	
घटाये : व्यवस्था	870.94	2537.37	870.94	2494.77
	योग	2537.37		2494.77

टिप्पणी :- 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के प्रगतिशील पूंजीगत कार्य के अन्तर्गत 833.93 लाख रुपये के ऐसे कार्य है जिनकी प्रगति शून्य/धीमी है (विगत वर्ष 833.93 लाख रुपये)।

अनुसूची - 7

निवेश (व्यापार निवेशों के अलावाँ) अनुद्धृत		
918 (विगत वर्ष 918) ई.पी.आई लि. के इक्विटी शेयर जिसका अंकित मूल्य 38.95 रु. प्रति शेयर है।	0.36	0.36
योग	**0.36**	**0.36**

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लि. के शेयरों का अभिदत्त अंकित मूल्य केन्द्र सरकार के आदेश संख्या 40/01/2003-सी एल III दिनांक 17.11.2003 के अनुमोदन से 1000 रु. से घटाकर 38.95 रु. प्रति शेयर किया गया है।

(रूपये लाख में)

	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	

अनुसूची - 8

वस्तुसूची

(प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित)

	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
कच्चे माल तथा अवयव	6378.66		5251.95	
घटाये व्यवस्था	1731.47		1617.85	
घटाये स्टॉक समंजन	65.56	4581.63	65.56	3568.54
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव				
निर्माण सामग्रियों सहित	1033.38		1004.34	
घटायें व्यवस्था/स्टॉक समंजन	343.41	689.97	345.82	658.52
मार्गस्थ माल/निरीक्षणाधीन	2160.57		769.31	
घटाये व्यवस्था	259.51	1901.06	344.17	425.14
अलग्न औजार, (लूज टूल्स) रेखांकन यंत्र इत्यादि	982.20		1140.04	
घटाये व्यवस्था	46.87	935.33	51.26	1088.78
निर्मित उत्पाद स्टॉक	446.92		339.16	
घटाये व्यवस्था	39.36	407.56	40.01	299.15
प्रगतिशिल कार्य	9513.28		7225.82	
घटाये व्यवस्था	79.41	9433.87	119.30	7106.52
प्रगतिशिल कार्य (टर्नकी प्रोजेक्ट)	5505.95		2784.13	
घटाये व्यवस्था	0.00	5505.95	0.00	2784.13
हटाया गया परिसम्पत्तियाँ	3.52		3.52	
घटाये व्यवस्था	3.52	0.00	3.52	0.00
कुल वस्तु	26024.48		18518.27	
घटाये व्यवस्था	2503.55		2521.93	
घटाये स्टॉक समंजन	65.56	23455.37	65.56	15930.78

टिप्पणी :-
1. समापन भंडार में निर्मित एवं प्रगतिशील कार्य के 35.12 लाख रूपये (विगत वर्ष 38.37 लाख रु.) मूल्य के बन्द, निरस्त पुराने कार्यादेशों की वे वस्तुएँ जिनका मूल्यांकन स्क्रैप दर पर किया गया है, शामिल हैं।
2. अचल कच्चा माल, भंडार और अतिरिक्त पुर्जे जो तीन वर्ष के अधिक के है, का मूल्य 2039.54 लाख रूपये (विगत वर्ष 1940.03 लाख रूपये) है एवं इसके लिए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त पाया गया।
3. मार्गस्थ सामग्री में सी भी ड्यूटी 220.35 लाख रूपये शामिल है (विगत वर्ष 64.88 लाख रूपये)।
4. अन्य पार्टियों के पास 142.35 लाख रु. का माल पड़ा हुआ है जिसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है।
5. निर्मित उत्पाद में शामिल 14.37 लाख रु. (विगत वर्ष 23.96 लाख रु.) का तैयार माल डिपो में पड़ा हुआ है।
6. शॉपफ्लोर में 41.91 लाख रु. का स्क्रैप सहित कच्चामाल एवं अवयव (विगत वर्ष 71.91 लाख रु.) शामिल है।

अनुसूची - 9

विविध देनदार **अप्रतिभूत** **बकाया ऋण**	छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	कुल ऋण		छः महीने से ऊपर	अन्य ऋण	कुल ऋण	
(अ) लोक उद्यम एवं सरकारी विभाग								
प्राप्य: समगझे गये	7975.40	42161.75	50137.15		6262.26	26825.41	33087.67	
संदेहात्मक समझे गये	4858.13	0.00	4858.13		4132.22	12.43	4144.65	
	12833.53	42161.75	54995.28	54995.28	10394.48	26837.84	37232.32	37232.32
(ब) अन्य								
प्राप्य: समझे गये	58.92	70.60	129.52		30.09	379.38	409.47	
संदेहात्मक समझे गये	394.54	4.84	399.38		407.85	0.00	407.85	
	453.46	75.44	528.90	528.90	437.94	379.38	817.32	817.32
				55524.18				38049.64
घटाये :- संदेहात्मक ऋण के लिए व्यवस्था			4889.03				4370.64	
एल डी कटौती एवं चार्ज के विरूद्ध व्यवस्था			368.48				181.86	
				5257.51				4552.50
			योग	50266.67				33497.14

टिप्पणी :-(i) विविध देनदारियों में सम्मिलित हैं उस प्रकार के 19886.79 लाख रूपये के डिस्पैच जिनका बिल नहीं दिया गया है (विगत वर्ष 4736.04 लाख रूपये)। (ii) विविध देनदारियों में पूर्व में आपूर्ति की गई उपकरण के मद में 25510.42 लाख (विगत वर्ष 9600.78 लाख रुपया) भी शामिल है, जिसकी वसूली कुछ संविदात्मक वाध्यता के अनुपालन पर निर्भर है।

(रूपये लाख में)

		31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010

अनुसूची - 10

नकद एवं बैंक अथशेष			
अपने पास रखे हुए नकद, चेक तथा ड्राफ्ट (इसमें शामिल है 0.14 लाख रु. (विगत वर्ष 0.13 लाख रु. के टिकट तथा विकृत करेन्सी नोट)		7.18	15.41
मार्गस्थ चेक		47.88	181.54
अनुसूचित बैंकों में शेष			
चालू खाता (इसके अन्तर्गत शामिल है 112.78 लाख रु. (विगत वर्ष 112.78 लाख रु.) जो विशेष प्रयोजन के लिए सुरक्षित है)		755.47	320.72
अल्पकालीन जमा		1500.00	17050.00
अन्य बैंक में अथशेष			
अल्पकालीन जमा		137.33	131.05
	योग	2447.86	17698.72

अनुसूची - 11

ऋण एवं अग्रिम			
अग्रिम ऋण तथा अग्रिम अन्य राशियां जो नकद व वस्तु या प्राप्य मूल्य में बसूलने योग्य है (ठेकेदारों, वाह्य पार्टियों को आपूर्तित तथा / समंजन निलंबित सामग्रियों के मूल्य सहित)			
अप्रतिभूत अग्रिम		1793.29	1382.84
कर्मचारियों का अग्रिम		199.84	170.50
निजी पार्टियों के पास जमा राशि		2.25	2.25
सरकारी अधिकारियों के पास जमा निधि		810.17	674.44
पूर्वदत्त व्यय		27.98	31.87
प्राप्य दावें		531.41	285.80
स्रोत पर काटे गये आयकर		515.58	464.61
स्टाफ तथा ठेकेदारों द्वारा प्रतिभूति जमा कन्ट्रा अनुसूची '12' के अनुसार		0.81	0.81
	योग	3881.33	3013.12
घटाये : अप्राप्य तथा संदेशात्मक अग्रिम के लिए व्यवस्था		966.83	889.86
	निबल	2914.50	2123.26

निदेशकों से प्राप्य राशि 0.00 लाख रुपये (वर्ष के दौरान किसी भी समय निदेशकों द्वारा अधिकतम देय राशि 0.25 लाख रुपये)

अनुसूची - 12

देयताएँ				
विविध लेनदार	12105.31		9746.92	
कर्मचारियों के देयताएँ	5635.06		5911.79	
एस.एम.ई. का बकाया	66.31		51.73	
स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना देयताएँ	6.84		6.84	
अन्य	4405.55	22219.07	2213.64	17930.92
अन्य देयताएँ				
ग्राहकों से अग्रिम	6639.59`		5879.47	
जमानत तथा अन्य जमा राशि ठेकेदारों आदि से	17730.27		16916.35	
जमानत तथा जमा राशि अनुसूची '11' के लेखानुसार	0.81		0.81	
अनुसूचित बैंकों के साथ ओवर ड्राफ्ट खाता	323.29		344.37	
विद्युत बकाया	27655.02		27640.01	
जल कर बकाया	3541.22		3028.56	54272.88
विविध	443.03	56333.23	463.31	
	निबल	78552.30		72203.80

(रूपये लाख में)

अनुसूची - 13

व्यवस्थाएँ

	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
उपदान (ग्रेच्यूटी) के लिए व्यवस्था	9977.45	9469.28
छुट्टी नगदीकरण के लिए व्यवस्था	4917.30	4570.22
निवृत्ति यात्रा भत्ता हेतु व्यवस्था	122.95	137.56
अस्वास्थ्य अवकाश हेतु व्यवस्था	625.39	637.97
कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए व्यवस्था	1214.22	0.00
विकृत परिसम्पतियों हेतु व्यवस्था	79.77	17.70
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	589.64	497.45
निबेल	17526.72	15330.18

अनुसूची - 14

आस्थगित राजस्व व्यय

	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
(i) निवृति यात्रा भत्ता का आस्थगित बीमांकिक मूल्यांकन	40.18	80.37
(ii) अस्वास्थ्य अवकाश का आस्थगित बीमांकिक मूल्यांकन	114.58	229.17
(iii) तकनीकी जानकारी शुल्क	150.79	82.90
योग	305.55	392.44

अनुसूची - 15

प्रगतिशील कार्य और निर्मित भंडार में मूल्य वृद्धि (मूल्य ह्रास)

	31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010	
प्रगतिशील कार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	10009.94		6813.40	
समापन स्टॉक	15019.23	5009.29	10009.94	3196.54
निर्मित स्टॉक				
प्रारंभिक स्टॉक	339.16		409.30	
समापन स्टॉक	446.92	107.76	339.16	(70.14)
योग		5117.05		3126.40

अनुसूची - 16

अन्य आमद

	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
ब्याज	24.20	6.54
किराया	0.94	0.58
विविध आय	1181.33	196.70
अधिक व्यवस्था पुन:लेखित	605.55	2164.10
स्टोर्स के बिक्री	282.98	197.39
एच.टी.आई. से आमदनी	23.40	18.39
योग	2118.40	2583.70

टिप्पणी : ई.डी. 155.57 लाख रु. सहित स्टोर्स के बिक्री (विगत वर्ष 62.98 लाख रु.)

अनुसूची - 17

अनुसंधान एवं विकास व्यय

	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
कच्चामाल, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जो की खपत	2.04	0.85
वेतन एवं भत्ते	43.48	5.67
योग	45.52	6.52

(रूपये लाख में)

अनुसूची - 18

		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं सुविधाएँ				
वेतन, मजदूरी तथा बोनस		11913.05		9962.61
भविष्य निधि एवं कर्मचारी पेंशन निधि में निगम का अंशदान		1174.95		757.80
श्रमिक एवं स्टॉफ के लिए कल्याण व्यय		433.01		382.45
उपदान		1604.50		3823.08
योग		15125.51		14925.94
घटायें :- 1. नगर क्षेत्र तथा सामाजिक अधिव्यय में हस्तान्तरित	1286.12		1276.10	
2. अनुसंधान तथा विकास खर्च में हस्तांतरित	43.48	1329.60	5.67	1281.77
योग		13795.91		13644.17
निदेशकों का पारिश्रमिक				
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित)				
वेतन (छुट्टी वेतन सहित)		39.30		38.89
भविष्य निधि अंशदान		4.36		3.49
उपदान		1.04		1.25
योग		44.70		43.63

टिप्पणी : भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्गत पत्रांक दिनांक 23 सितम्बर 1999 के नवीनतम संशोधन के अनुसार पूर्वकालिक निदेशकों को 325 रु. प्रतिमाह की अदायगी पर 750 किलोमीटर की सीमा रेखा तक व्यक्तिगत यात्रा सहित कंपनी के कार के प्रयोग की अनुमति दी गयी है।

अनुसूची - 19

		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
अन्य निर्माण, प्रशासनिक, बिक्री एवं वितरण पर व्यय				
जल, बिजली एवं ईंधन		2798.93		2558.40
किराया		13.75		11.47
उत्पाद शुल्क		265.68		124.97
बीमा		94.76		81.56
सुरक्षा व्यय (सी.आई.एस.एफ.)		1220.05		1101.34
यात्रा एवं सवारी भत्ता		375.26		366.52
सलाहकार एवं विधि व्यय		280.32		271.96
चेक चार्जेज		118.63		100.08
विविध व्यय		305.23		339.49
सम्पति कर		0.23		0.25
मोटरगाड़ी का चालू व्यय		103.76		165.00
एल.डी. कटौती एवं चार्जेज		398.88		203.62
विक्रय प्रोन्नयन		119.66		30.91
मरम्मत एवं रख-रखाव खर्च :				
प्लांट एवं मशीनरी	357.73		360.66	
भवन	50.06		47.35	
अन्य	65.17	472.96	51.55	459.56
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक				
अंकेक्षण शुल्क	1.44		1.44	
कर अंकेक्षण शुल्क	0.20		0.20	
सेवा कर	0.17	1.81	0.17	1.81
परिशोधन	1040.27		1028.61	
औजार	42.36	1082.63	20.72	1049.33
तकनीकी जानकारी				
प्रशिक्षण व्यय		7.22		12.94
उत्पादन हेतु अन्य खर्च				
मशीनिंग एवं असेम्बली चार्जेज	2994.46		2402.46	
टर्न-की प्रोजेक्ट व्यय	4361.52		4666.93	
अन्यान्य	59.10	7415.08	17.48	7086.87
योग		15074.84		13966.08

टिप्पणी : मरम्मत एवं रख-रखाव में भंडार और पुर्जे के बावद 331.53 लाख रुपये शामिल है (विगत वर्ष 332.94 लाख रु.)। ठेका कार्य के अन्तर्गत देय राशि में 77.52 लाख रु. बोनस भी शामिल है (विगत वर्ष 72.16 लाख रु.)।

(रूपये लाख में)

	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010

अनुसूची - 20

ब्याज	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
अन्यान्य पर ब्याज	92.37	47.19
योग	92.37	47.19

अनुसूची - 21

व्यवस्थायें	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण	613.18	301.55
अप्राप्य एवं संदेहात्मक ऋण तथा अग्रिम के लिए व्यवस्था	86.63	60.82
वारण्टी व्यय हेतु व्यवस्था	356.51	265.50
विकृत परिसम्पतियों हेतु व्यवस्था	62.20	0.00
विविध व्यवस्थायें	220.39	144.73
योग	1338.91	772.60

अनुसूची - 22

नगर क्षेत्र एवं समाज कल्याण		31 मार्च, 2011		31 मार्च, 2010
व्यय:				
कर्मचारियों के लिए भुगतान एवं व्यवस्थायें		1286.12		1276.10
सामान्य व्यय (पर्यावरणीय व्यय के 2.00 लाख रूपये सहित विगत वर्ष 2.00 लाख रूपये)		76.37		60.31
जल तथा विद्युत खर्च		546.45		441.43
नगरपालिका कर / खर्च		8.00		8.00
मोटरगाड़ी का चालू व्यय : रख-रखाव एवं मरम्मत (भंडार सहित 0.00 लाख रूपये, विगत वर्ष 0.60 लाख रूपये) ठेका कार्य के अन्तर्गत देय राशि 4.60 लाख रुपये (विगत वर्ष 4.47 लाख रुपये)बोनस भी शामिल है।		2.16		0.11
भवन	38.30		16.43	
अन्यान्य	7.93	46.23	15.94	32.37
मूल्य ह्रास		42.94		42.69
व्यवस्था		0.00		3.99
विविध हानि पुन:लिखित		0.00		1.88
योग		2008.27		1866.88
नगर क्षेत्र से आय:				
किराया, जल और विद्युत चार्जेज		731.71		726.78
अधिक व्यवस्था पुन:लिखित		24.96		41.25
ब्याज		0.00		0.01
विविध आय		45.20		62.69
		801.87		830.73
लाभ तथा हानि लेखा में दर्शाये गये खर्च — योग		1206.40		1036.15

अनुसूची - 23

पूर्वकालिक समंजन	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
आय :		
विक्रय (सेवाओं सहित)	(15.18)	100.09
विगत वर्ष व्यय पुन:लेखित	0.00	0.12
देयता आवश्यक नहीं पुन:लेखित	66.22	919.98
विविध आय	0.25	5.90
योग	51.29	1026.09
घटायें : व्यय		
कच्चेमाल की खपत	0.00	73.78
कर्मचारियों का वेतन एवं व्यवस्थाएँ	0.00	18.76
नगर क्षेत्र अधिभार	(2.28)	(462.41)
मूल्य ह्रास	0.27	(23.98)
विविध व्यय (निबल)	0.96	3.34
योग	(1.05)	(390.51)
निबल	52.34	1416.60

अनुसूची - 24

असाधारण आइटम	31 मार्च, 2011	31 मार्च, 2010
सी.आई.एस.एफ. देयता एवं ब्याज का निपटान	0.00	7900.72
निबल	0.00	7900.72

अप्रैल 2010 - मार्च 2011 के तुलन पत्र पर संलग्न कैश-फ्लो विवरण

(रूपये लाख में)

		2010-11		2009-10
अ. परिचालन कार्य से कैश-फ्लो				
कर पूर्व निवल लाभ		3313.98		4427.01
समंजन हेतु :				
मूल्य ह्रास	406.28		356.80	
ब्याज खर्च	92.37		47.19	
राजस्व व्यय आस्थगित	86.89		71.85	
पट्टा आय	(467.54)		(461.31)	
इंक्रीमेंटल व्यवस्थाएँ	2196.54	2314.54	4674.96	4689.49
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व परिचालन द्वारा लाभ		6128.52		9116.50
समंजन हेतु :				
व्यापार व अन्य प्राप्य राशि	(16769.53)		(13036.93)	
वस्तुसूची	(7524.59)		(3625.16)	
व्यापार में देय राशि	6348.50		9666.62	
ऋण एवं अग्रिम	(791.24)	(18736.86)	(610.90)	(7606.37)
आपरेशन से प्राप्त रोकड़		(12608.34)		1510.13
परिचालन से प्राप्त निवल रोकड़		(12608.34)		1510.13
ब. निवेश कार्य से कैश फ्लो :				
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय	(283.09)		(945.95)	
स्थायी परिसम्पत्तियों का विक्रय/समंजन	0.35		852.26	
मूल्यह्रास में समंजन	0.00		(0.66)	
पूंजीगत चालू कार्य में संमजन	(42.60)		(343.16)	
पट्टा आय	467.54		461.31	
निवेश कार्य से प्राप्त निवल रोकड़		142.20		23.80
स. वित्तीय कार्यकलाप से कैश फ्लो :				
शेयर पूँजी में वृद्धि (ह्रास)	0.00		15284.53	
ब्याज भुगतान	(92.37)		(47.19)	
असाधारण आइटम	0.00		7900.72	
लघुकालीन ऋण	(2240.88)		11151.72	
शेयर प्रयुक्ति राशि का समंजन	0.00		(15284.53)	
पट्टे में दिए परिसंपतियों पर दायित्व	(467.54)		(8371.69)	
वित्तीय कार्यकलाप में निवेशित निवल रोकड़		(2800.79)		10633.56
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष में निवल वृद्धि / (ह्रास)		15266.93)		12167.49
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का प्रारंभिक अधिशेष		17698.72		5531.23
रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का समापन अधिशेष		2447.86		17698.72
		(15250.86)		12167.49

टिप्पणी : निम्नलिखित परोक्ष प्रक्रिया से तैयार किया गया कैश-फ्लो।

	2010-11	2009-10
द. रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का प्रारंभिक अथशेष विवरण :		
अपने पास रखे हुए नकद, चेक एवं ड्राफ्ट	15.41	12.24
मार्गस्थ चेक	381.54	323.89
चालू खाता में अनुसूचित बैंक का अथशेष	320.72	486.38

(रूपये लाख में)

		2010–11	2009–10
अनुसूचित बैंक में नकद–उधार खाता का अथशेष		0.00	4583.53
अनुसूचित बैंक में अल्पकालीन जमा का अथशेष		17050.00	0.00
अन्य बैंक में अल्पकालीन जमा का अथशेष		131.05	125.19
	योग	17698.72	5531.23
न. रोकड़ एवं रोकड़ समकक्ष का समापन अथशेष विवरण :			
अपने पास रखे हुए नकद, चेक एवं ड्राफ्ट		7.18	15.41
मार्गस्थ चेक		47.88	181.54
चालू खाता में अनुसूचित बैंक का अथशेष		755.47	320.72
अनुसूचित बैंक में अल्पकालीन जमा का अथशेष		1500.00	17050.00
अन्य बैंक में अल्पकालीन जमा का अथशेष		137.33	131.05
	योग	2447.86	17698.72

(ए. के. कंठ)
कम्पनी सचिव

(एस. के. चक्रवर्ती)
महाप्रबन्धक (वित्त)

(आर. मिश्रा)
निदेशक (वित्त)

(जी. के. पिल्लई)
अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक

सम तिथि के अनुरुप हमारी रिपोर्ट

स्थान : राँची
दिनांक : 22.08.2011

कृते अंजलि जैन एण्ड एसोसियेट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेट्स

(अंजलि जैन) पार्टनर
एम. न. 72022

अनुसूची-25

1. कंपनी का लेखा ''सुनाम प्रतिष्ठान आधार'' पर तैयार किया गया है, जो वित्तीय उपलब्धता तथा भावी लाभप्रदता पर निर्भर है। लंबी अवधि तक लगातार हानि होने तथा नकारात्मक निवल मूल्य के कारण कंपनी को रूग्ण घोषित किया गया तथा 24.2.1992 को बीआईएफआर को सुपुर्द किया गया। बीआईएफआर ने 26.8.96 को पुनर्वास योजना की मंजूरी दी एवं भारत सरकार ने उसे 07.02.97 को अनुमोदित किया। तत्पश्चात बीआईएफआर ने योजना को असफल घोषित किया और कंपनी को 6.7.2004 को बंद करने का आदेश पारित किया।

11 उपर्युक्त बंद करने के आदेश के विरुद्ध कंपनी ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में बंद करने के पारित आदेश पर रोक लगाने के लिए दि. 18.04.2004 याचिका सं. 4513/04 दायर की। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने भारत सरकार झारखंड सरकार एवं एचईसी को कंपनी के पुनरुत्थान प्रस्ताव शपथ पत्र के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। तदुपरांत 9.9.2004 से 13.11.2009 के बीच अनेकों बार सुनवाई हुई और अंतत: माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 13.11.2009 को आदेश पारित कर भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा एचईसी लि. एवं अन्य संबंधित पार्टियों को माननीय न्यायालय से अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया और 2004 केपीसी नं. 5 की सुनवाई इस आशा के साथ बंद की गई कि विगत स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी और एचईसी राष्ट्रीय गौरव एवं उद्योगों की जननी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल होगा और राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहेगा। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन इस सुनवाई के दौरान निम्नांकित पुनरुत्थान पैकेज भारत सरकार एवं झारखंड सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। ऐसे प्रस्ताव एवं क्रियान्वयन के व्योरे की वर्तमान स्थिति निम्नवत है :

(अ) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति (7.10.2005 को बीआरपीएसई द्वारा अनुशंसित एवं 15.12.20 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित)

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता	कार्यान्वयन की स्थिति
(क) रु. 15.27 करोड़ का योजनागत ऋण को 31.03.2005 को इक्विटी में रूपांतरण	मार्च, 2006 में क्रियान्वित
(ख) गैर योजनागत ऋण एवं रु. 1101.02 करोड़ के योजनागत और गैर योजनागत ऋण पर 31.03.2005 को ब्याज माफ	मार्च, 2006 में क्रियान्वित
(ग) रु. 102 करोड़ का गैर योजनागत ऋण का प्रावधान रु. 92.03 करोड़ गैर योजनागत ऋण के रूप में जो कंपनी के द्वारा 3 वर्षों में पुनर्अदायगी की जायेगी तथा रु. 4.985 करोड़ भी इक्विटी के रूप में उपलब्ध कराया। (क्र.सं. क, ख, ग को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने 13.7.2008 को अनुमोदित किया)	मार्च, 2006 में क्रियान्वित
(घ) रिहायशी एवं गैर रिहायशी भवनों जो झारखंड सरकार को पहले ही भाड़ा पर हस्तांतरित किये गये हैं, आवासों में दखलदार कर्मचारियों को दीर्घकालीन लीज पर देकर, वाणिज्यिक एवं संस्थागत क्षेत्रों और स्कूल तथा अस्पताल का निजीकरण कर संसाधन (लगभग रु. 330.00 करोड़) का संग्रहण।	कंपनी ने रिहायशी आवासों को दीर्घ कालीन लीज पर देकर रु. 85.44 करोड़ उपार्जित किये।

(ब) भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2008 में पुनरुत्थान योजना अनुमोदित की गई :

(क) योजनागत ऋण (रु. 5.825 करोड़) एवं गैर योजनागत ऋण (रु. 102.21 करोड़) का इक्विटी में रूपांतरण।	मार्च, 2009 में क्रियान्वित।
(ख) 18.9.2008 तक रु. 44.81 करोड़ के बकाया ब्याज का इक्विटी में रूपांतरण।	मार्च, 2009 में क्रियान्वित।
(ग) कार्यशील पूँजी के लिए सरकारी गारंटी रु. 150 करोड़ से रु. 253 करोड़ तक की वृद्धि।	मार्च, 2009 में क्रियान्वित।

(घ) सीआईएसएफ की रु. 79.06 करोड़ की देयता को सीआईएसएफ को रकम के अनुरूप जमीन हस्तांतरित कर निपटान करना।	सीआईएसएफ का रु. 79.06 करोड़ बकाया राशि के बदले 158 एकड़ जमीन मार्च 2009 में हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त सीआईएसएफ के बकाया रकम पर ब्याज एवं पेनल ब्याज की राशि रु. 37.91 करोड़ को हटा दिया गया एवं ब्याज तथा पेनल ब्याज की राशि को फ्रीज करने के लिए 31.7.2008 के बाद भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2008 में अनुमोदित एवं क्रियान्वित किया।

(स) पुनरुत्थान पैकेज की स्थिति : भारी उद्योग विभाग, बारत सरकार, झारखंड सरकार एवं एचईसी लि. के बीच सहमति।

द्वारा पुनरुत्थान पैकेज अनुमोदित रु. करोड़ में

	सीसीईए	झारखंड सरकार द्वारा दायर किया गया शपथ पत्र एवं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के अनुमोदन के अनुसार	हटाई/समायोजित/प्राप्त होने वाली राशि	हटाई/समायोजित/प्राप्त होने वाली राशि	हटाई/समायोजित प्राप्त होने वाली शेष राशि
1.	बिजली बिल बकाया हटाने के संबंध में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं है। परन्तु बिजली बिल बकाया के मद में झारखंड सरकार ने रु. 500 करोड़ हटाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	बिजली बिल के बकाया रु. 306.37 करोड़ हटाये गये और विलम्बित भुगतान अधिभार जेएसईबी द्वारा अंतिम निपटान की तिथि तक माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के अनुमोदन के उपरांत।	रु. 969.85 करोड़ कुल राशि हटाई गई / समायोजित की गई।	रु. 853.42 करोड़ घ(रु. 306.27 करोड़ के बिजली बिल के मद में बकाया एवं रु. 547. 05 करोड़ 31.08.2008 तक डीपीएस)	रु. 116.42 करोड़ डीपीएस के विरुद्ध 01.09.2008 से 31.03. 2010 तक हटाना बाकी है।
2.	पीएचईडी के रु. 31.03 करोड़ बकाया राशि हटाना।	पीएचईडी के रु. 32.65 बकाया राशि 31.03.2007 के अनुसार हटाना।	रु. 32.65 करोड़ (हटना)।	0.00	रु. 32.65 करोड़ हटाना।
3.	बिक्री कर बकाया राशि रु. 25.51 करोड़ हटाना।	झारखंड सरकार ने एचईसी द्वारा रु. 25.51 करोड़ की पूर्ण अदायगी पर सहमति दी तथा विलम्बित भुगतान आदि के लिए पेनाल्टी/पेनल ब्याज समेत 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता के अंतिम निपटान जिसके सीटी देयता के मूल्यांकन के संबंध में है। इससे अलग कोई देयता एवं प्राप्ति बाद में प्रासंगिक विधि दिशा निर्देश के अनुसार प्रतिपादित किया जायेगा।	1. रु. 25.51 करोड़ राशि झारखंड सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा। 2. झारखंड सरकार के पास रु. 25.51 करोड़ कंपनी को जमा करना है। 3. 31.03.2007 तक सभी वाणिज्यिक कर देयता हटाने के आदेश झारखंड सरकार को निर्गत करना।	1. रु. 25.51 करोड़। 2. रु. 25.51 करोड़ एचईसी के द्वारा वाणिज्यिक कर के मद में जमा किया गया 3. आदेश निर्गत नहीं किये गये।	1. शून्य 2. शून्य 3. झारखंड सरकार द्वारा 31.03. 07 तक सभी बकाया हटा लेने के आदेश अभी प्रतीक्षित है।

4.	एचईसी से भविष्य में झारखंड सरकार को बगैर और अधिक जमीन एवं भवन हस्तांतरित किये रु. 250 करोड़ पाने के लिए पारधिकृत किया गया है।	उपर्युक्त क्र.सं. 3 में उल्लिखित रु. 25.51 करोड़ समेत रु. 275.51 करोड़ का अनुदान।	रु. 275.51 करोड़।	रु. 164.21 करोड़।	रु. 111.30 करोड़
5.	2342 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव एचईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। इसमें भवनों के साथ सम्बद्ध 85 एकड़ जमीन शामिल है।	एचईसी ने झारखंड सरकार को 2342 एकड़ जमीन सुपुर्द की।	1902.64 एकड़ जमीन का अधिपत्य झारखंड सरकार को सुपुर्द किया गया, जिसका दस्तावेज हस्तांतरण होना बाकी है। शेष 354.25 एकड़ जमीन अतिक्रमण हटाने के उपरांत सुपुर्द की जायेगी।		
6.	सम्बद्ध जमीन के साथ 17 भवनों एवं 1155 रिहायशी आवासों का एचईसी द्वारा झारखंड सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति देना, जिसकी कीमत रु. 142.23 करोड़ है।	एचईसी ने 17 अदद गैर रिहायशी भवन एवं 1148 रिहायशी आवासों को झारखंड सरकार को सुपुर्द किया।	17 गैर रिहायशी भवनों 1148 रिहायशी आवासों, 85.11 एकड़ सम्बद्ध जमीन 31.03.2009 तक भाड़े पर झारखंड सरकार के आधिपत्य में है तथा झारखंड सरकार को सुपुर्द किया गया। भवनों का पंजीकरण होना बाकी है।		

उपर्युक्त पैकेज झारखंड सरकार द्वारा पूर्णरूपेण क्रियान्वयन नहीं होने और भवनों का भी रजिस्ट्रेशन नहीं होने तता जमीन का दस्तावेज हस्तांतरण नहीं होने की वजह से लेखाबद्ध नहीं किया गया है। तद्नुसार झारखंड सरकार से प्राप्त रकम को अग्रिम के रूप में रखा गया है।

2. एचईसी लिमिटेड ने चेयरमैन, सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त राँची द्वारा 03/76 से 09/99 तक की अवधि के लिए लगाई गई लेवी नुकसानी रकम रु. 95.02 करोड़ हटा लेने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे 12.11.2010 के पत्रांक के अनुसार अस्वीकृत कर दिया गया। कंपनी ने पुन: सिविल विधिक याचिका (सीएमपी) कंपनी याचिका सीपी 05/2004 माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की। उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने अगले आदेश तक नुकसानी वसूली पर रोक लगा दी।

3. आकस्मिक देयताएँ :

क) संविदा की प्राक्कलित राशि पूंजीगत लेखा में निष्पादित की जाने वाली शेष राशि रु. 16.85 लाख की रकम उपलब्ध नहीं कराई गई (पिछले वर्ष रु. 19.34 लाख)।

ख) असमाप्त उधार पत्र की राशि 2,522.06 लाख (पिछले वर्ष रु. 1216.84 लाख)।

ग) असमाप्त बैंक गारंटी की राशि रु. 11,278.94 लाख (पिछले वर्ष रु. 11,114.64 लाख)।

घ) विलम्बित भुगतान के कारण बिजली बिल पर अधिभार रु. 69,592.83 लाख (पिछले वर्ष रु. 69,592.83 लाख)।

ङ) जल प्रभार रु. 1,451.36 लाख (पिछले वर्ष रु. 1,213.86 लाख)।

च) भविष्य निधि बकाया पर हर्जाना रु. 9,501.54 लाख (पिछले वर्ष रु. 9,501.54 लाख)।

छ) कानूनी मामलों समेत अन्य व्यय रु. 1105.82 लाख एवं वाणिज्यिक कर रु. 2723.90 लाख, कुल राशि रु. 3829.72 लाख (पिछले वर्ष रु. 3,820.21 लाख)।

4. 1995-96 से 31.03.2010 तक दीर्घकालीन पट्टे पर क्वार्टर आबंटन के मद में प्राप्त रु. 23005.29 लाख में से रु. 467.54 लाख की राशि अनुबंध विधि को बगैर ध्यान में रखे हुए लीज अवधि के आधार पर ऋण चुका दिया गया है एवं वर्ष के लिए लाभ प्रदता उस सीमा तक वृद्धि की गई है।

5. क) सेवाएं समेत कुल बिक्री रु. 896.80 लाख (पिछले वर्ष रु. 403.58 लाख)।

ख) सम्बद्ध कार्यादेश के तहत बिल अनुसूची के अनुसार आंशिक आपूर्ति की वजह से कुल बिक्री में शामिल है मूल्य वृद्धि समेत बिल रहित बिक्री रु. 17759.47 लाख (पिछले वर्ष रु. 3954.41 लाख)।

ग) रु. 7758.38 लाख के अंतर प्लांट हस्तांतरण (पिछले वर्ष रु. 6532.09 लाख) को कंपनी की कुल बिक्री से अलग किया गया।

घ) कामगारों के लिए 01.01.2007 से लागू, दि. 06च.07.2011 को सम्पन्न वेतन पुनरीक्षण समझौता के अनुसार एरियर का भुगतान का 01.01.2009 से 31.03.2011 तक का एरियर भुगतान के लिए रु. 1214.22 लाख का प्रावधान किया गया है। यद्यपि कि अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के 01.01.2007 से देय वेतन पुनरीक्षण समझौता नहीं होने के अभाव में लेखा में प्रावधान नहीं किया गया है।

7. क) कुल बिक्री में शामिल है प्रोजेक्ट डिवीजन द्वारा निष्पादित रु. 23542.27 लाख की टर्न की संविदा (पिछले वर्ष रु. 12625.14 लाख) जिसका मूल्यांकन संविदा के भुगतान शर्तों के अनुरूप कार्य प्रगति, निरीक्षित, प्रेषण/माल वाहक की सुपुर्दगी आदि के आधार पर अस्थायी दर पर करने के बाद बिल बनाया गया है।

लेखाकरण मानक एएस-7 (संशोधित) की अपेक्षा के अनुरूप 01.04.2003 को या उपरांत सम्पन्न निर्माण संविदा से सम्बद्ध खुलासा निम्नानुसार है :

रु. लाख में

	2010-11	2009-10
वर्ष के दौरान चिन्हित संविदा राजस्व	23542.27	12625.14

31.03.11 के अनुसार संविदा कार्य के संबंध में :

लागत खर्च एवं चिन्हित लाभ (चिन्हित हानि कमी)	39132.80	15543.62
प्राप्त अग्रिम राशि	11257.43	8929.61
प्रतिधारण रकम (आस्थगित ऋण)	5505.95	2784.13

ग्राहकों से उपयुक्त नेटिंग ऑफ के उपरांत बकाया के संबंध में :

परिसम्पत्ति के रूप में संविदा कार्य हेतु ग्राहकों से देय सकल राशि	12107.44	8646.74
देयता के रूप में संविदा कार्य हेतु ग्राहक के पास देय सकल राशि	7401.76	5920.72
आकस्मिकता	शून्य	शून्य

ख) 1 अप्रैल 2003 या उसके उपरांत सम्पन्न निर्माण संविदाएं के संबंध में कुल लागत एवं कुल राजस्व के प्राक्कलन लेखाकरण मानक (एएस)-7 (आर) के अनुरूप है, निर्माण संविदाएं प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान अद्यतन आवधिक की समीक्षा की गई है तथा आवश्यक समंजन चालू वर्ष के लेखा में किया गया है।

8. विविध देनदारियां शेष की पुष्टि हेतु ग्राहकों को पत्र निर्गत करने के बावजूद आज तक ग्राहकों से सम्पुष्टि नहीं की गई है। ऋण एवं अग्रिम, जमा विविध लेनदारियां आदि के संबंध में सम्बद्ध पार्टियों से सम्पुष्टि प्राप्त नहीं हो सकी।

9. सुक्ष्म एवं लघु उद्योगों से संबंधित अतिदेय रकम पर ब्याज उपलब्ध नहीं कराया गया है और इसे अनुलग्नक-1 में दर्शाया गया है।

10. रु. 11297.59 लाख रकम बिक्री के रूप में दर्शायी गई है जो वास्तविक रूप में ्पने परिसर से सुपुर्दगी हेतु सामग्री ग्राहकों यथा बीएसएल, बीएसपी, सीसीएल, डीएसपी, एचसीएल, इस्को, एमसीएल, एनसीएल, एनआईएनएल, एनएमडीसी, सेल, वीएसपी, डब्लूसीएल, आरएसपी, एएसपी और वीआईएसएल आदि को भेजी गई, परन्तु माल ग्राहकों के परिसर में 31.03.2011 तक नहीं पहुँचा है।

11. विवेकानुसार इंस्टीच्यूड ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत लेखाकरण मानक-22 के आलोक में आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध) चिन्हित नहीं की गई है, क्योंकि संतोषप्रद प्रमाणों के आधार पर निश्चिंतता नहीं है कि भविष्य में कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन आस्थगित कर सम्पत्तियाँ का समंजन किया जा सकेगा। चालू आयकर का प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी के पास असमाविष्ट अवमूल्यन है और हानि को अग्रेनित किया गया है जिसका समंजन कर योग्य आय के विरुद्ध होगा।

12. वर्ष के दौरान लेखा मानक-15 (संशोधित 2005) कंपनी द्वारा (लेखा मानक) संशोधन नियमावली 2008, 1 अप्रैल, 2007 से यथा संशोधित के तहत कर्मचारी हितलाभ के दायित्व लेखाबद्ध किया गया है। अपेक्षित खुलाशा अनुलग्नक- II में दर्शाया गया है।

बीमांकिक मूल्यन के आधार पर पारगमन दायित्व को (अ) रु. 572.91 लाख रकम के अस्वस्थता अवकाश और (ब) रु. 200.91 लाख के सेवानिवृत्त यात्रा सहायता के मद में पांच वर्षों की अवधि से अधिक व्यय के रूप में लेखाबद्ध किया गया है। वर्ष के दौरान रु. 154.78 लाख की राशि व्यय के रूप में प्रभारित की गई है और शेष रु. 154.76 लाख की राशि अनुसूची-14 में आस्थगित राजस्व व्यय के तहत दर्शायी गई है।

13. अक्टूबर 1999 से मार्च 2005 तक की अवधि के लिए विलंबित सीपीएफ/ईपीएफ बकाया पर हर्जाना के भुगतान छोड़कर नुकसान के लिए आकस्मिक दायित्व के भुगतान हेतु क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, राँची से किसी प्रकार का नोटिस नहीं भेजा गया है।

14. इंस्टीच्यूड ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत लेखाकरण मानक-17 (एएस-17) के अनुसार प्रत्येक यूनिट की सूचनाएँ अनुलग्नक- III। में उल्लिखित है।

15. आईसीएआई द्वारा निर्गत लेकाकरण मानक-18 (एएस-18) के अनुसार ''सम्बद्ध पार्टी प्रकटन'' का खुलासा निम्नवत है :

सम्बद्ध पार्टियों के नाम लेन-देन के ब्योरे

	मुख्य प्रबंधन कार्मिक	निदेशक (उत्पादन)	पारिश्रमिक	आवधिक लाभ
1.	जी. के. पिल्लई, सीएमडी	04/2010-03/2011	12.13	0.86
2.	स्व. एम आर वेणुगोपाल, निदेशक (वित्त)	04/2010 - 05/2010	1.37	0.19
3.	श्री आर. मिश्रा, निदेशक (वित्त)	04/2010 - 03/2011	12.80	1.43
4.	श्री भरत प्रसाद, निदेशक (विपणन)	04/2010 - 03/2011	10.95	1.22
5.	श्री एस. के. चौधरी, निदेशक (उत्पादन)	04/2010 - 08/2010	3.44	0.31
		कुल	40.69	4.01

उपर्युक्त वेतन के अलावे उन्हें रियायती दर पर आवास एवं वाहन उपलब्ध कराये गये हैं।

16. वर्ष के दौरान कुछ क्षेत्रों में जैसे परिवहन एवं खपत योग्य अस्पताल के आइटम यथा स्पेयर्स पार्ट्र्स, दवा और स्टेशनरी को खपत के रूप में दर्शाया गया है।

17. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3ए), (3 बी) एवं (3 सी) के तहत यथा अपेक्षित खुलासा निम्नवत है :

प्रभाव एवं कारणों सहित उप धारा (3 सी) में यथा उल्लिखित लेखा मानक से विचलन निम्नानुसार है :

अ) तैयार एवं अर्द्ध तैयार माल की वस्तुसूची का मूल्यन और प्लांट आइटमों के मामलों में एएस–2 के अनुरूप नहीं किया गया है, फलत: रकम ज्ञात नहीं है।

ब) शुद्ध उत्पादन का लेखाबद्ध कुछ मालमों में जैसा कि टिप्पणी सं. 10 में उल्लिखित है, एएस–9 के अनुरूप नहीं है क्योंकि माल डिस्पैच/ग्राहकों की सुपुर्दगी कर दी गई है।

18. पिछले वर्ष के आंकड़ों की वर्तमान वर्ष के साथ तुलना करने के लिए यथा संभव पुनवर्गीकरण, नया स्वरूप एवं नये सिरे से क्रमबद्धता प्रदान की गई है।

19. अनुसूची–1 से 25 एवं लेखा नीति के ब्योरे इन लेखाओं के अभिन्न अंग हैं।

ए. के.कंठ	**एस. के. चक्रवर्ती**	**आर. मिश्रा**	**जी. के. पिल्लई**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

पहचान हेतु हस्ताक्षरित
कृते अंजलि जैन एण्ड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स
(अंजली जैन)
पार्टनर, स. सं. 72022

अनुलग्नक-I

अनुसूची - ''25'' की टिप्पणी सं. 9 के अनुलग्नक
सुक्ष्म, लघु तथा मध्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत् अपेक्षित खुलासा

रू. लाख में

प्रत्येक लेखाकरण वर्ष के अंत में देय विलंभित आदायगी की वजह से	2010-11	2009-10
मूलधन	66.31	51.73
ब्याज	20.21	21.43
वर्ष के दौरान अधिनियम के प्रावधान के तहत सभी विलंबित अदायगी पर कुल ब्याज भुगतान किया गय॥	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान देय तिथि के बाद मूलधन पर देय ब्याज परन्तु अधिनियम के तहत बगैर ब्याज रकम के भुगतान किया गया।	शून्य	शून्य
प्राप्त ब्याज परन्तु देय नहीं (वर्ष के अंत के अनुसार उपार्जित ब्याज प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ब्याज के रूप में देय की गणना मासिक रूप में देय तिथि से नहीं की गई है)	शून्य	शून्य
कुल देय ब्याज परन्तु भुगतान नहीं किया गया (सभी ब्याज की रकम पूर्व वर्षों से शेष देय सहित ऐसी तिथि तक प्रतिनिधित्व करती है जब ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्योगों को भुगतान किया गया। मुख्य रूप से ब्याज राशि आयकर प्रयोजन के लिए ज्ञात करना अस्वीकृत योग्य है)।	शून्य	शून्य

अनुलग्नक–II

अनुसूची – ''25'' की टिप्पणी सं. 12 का अनुलग्नक

कर्मचारी हित लाभ

(अ) कंपनी ने 31 मार्च, 2011 को कर्मचारी हित लाभ के दायित्व आईसीएआई द्वारा निर्गत पुनरीक्षित लेखामानक–15 कर्मचारी हित लाभ के अनुसार निर्धारित किया है।

(ब) परिभाषित हित लाभ योजना – 31 मार्च 2011 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार

रु. लाख में

		ग्रेच्यूटी	अवकाश नगदीकरण	सेवानिवृत्त यात्रा भत्ता	बीमारी अवकाश
(I)	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा के ब्योरे में मान्यता प्राप्त व्यय				
	1. चालू सेवा लागत	356.68	207.39	5.51	42.65
	2. पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. व्याज लागत	719.66	347.34	10.45	48.48
	4. वर्ष के दौरान चिह्नित शुद्ध बीमांकिक (लाभ/हानि)	537.10	257.38	28.77	(103.71)
	5. कुल व्यय	1613.44	812.11	44.73	(12.58)
(II)	तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्ति / (दायित्व) की मान्यता				
	1. दायित्व के वर्तमान मूल्य	9977.45	4917.30	122.95	625.39
	2. फंड की स्थिति [(अधिशेष/घाटा)]	(9977.45)	(4917.30)	(122.95)	(625.39)
	3. तुलन पत्र में शुद्ध परिसम्पत्ति/दायित्व को मान्यता	(9977.45)	(4917.30)	(122.95)	(625.39)
(III)	31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
	1. 1 अप्रैल, 2010 को दायित्व के वर्तमान मूल्य	9469.28	4570.22	137.56	637.97
	2. चालू सेवा लागत	356.68	207.39	5.51	42.65
	3. ब्याज लागत	719.66	347.34	10.45	48.48
	4. पूर्व सेवा लागत	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. भुगतान किया गया हित लाभ	(1105.27)	(465.03)	(1.81)	0.00
	6. दायित्व पर बीमांकिक (लाभ/हानि)	537.10	257.38	(28.76)	(103.71)
	7. 31 मार्च, 2010 को दायित्व का वर्तमान मूल्य	9977.45	4917.30	122.95	625.39
(IV)	बीमांकिक खपत				
	1. बट्टा दर	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
	2. क्षतिपूर्ति में वृद्धि दर	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
	3. घातक दर	एलआईसी (1994–96) पटल			

अनुलग्नक-III

अनुसूची – ''25'' की टिप्पणी सं. 14 का अनुलग्नक

विभिन्न व्यवसाय यूनिटों के संबंध में सूचनाएँ (खंड) 2010-2011

रु. लाख में

	फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट	हेवी मशीन टूल्स प्लांट	प्रोजेक्ट	एच.ई.सी. लि.
राजस्व					
बाह्य बिक्री	3507.69	38522.66	2547.97	23542.27	68120.59
अन्तर प्लांट/अपने उपयोग					
के लिए सम्पन्न कार्य	5920.22	2529.94	156.64	0.00	8606.80
कुल राजस्व	9427.91	41052.60	2704.61	23542.27	76727.39
परिणाम					
शुद्ध लाभ (ब्याज से पहले)	(7926.20)	11300.88	(1099.89)	1579.22	3854.01
ब्याज	22.17	62.81	7.39	0.00	92.37
साधारण कार्यकलापों से लाभ	(7948.37)	11238.07	(1107.28)	1579.22	3761.64
पूर्व अवधि आय	64.00	(14.90)	3.24	0.00	52.34
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शुद्ध लाभ	(7884.37)	11223.17	(1104.04)	1579.22	3813.98
अन्य सूचना					
खण्ड परिसम्पत्तियाँ	11967.52	43331.89	6022.76	19938.87	81261.04
वर्ष के दौरान परिवर्धन	51.82	158.49	20.58	1.55	232.44
अनावंटित परिसम्पत्तियाँ					5829.01
कुल परिसम्पत्तियाँ					87322.49
खंड देयताएं	9976.12	18394.65	2714.18	14599.49	45684.44
अनावंटित देयताएं					50394.58
कुल देयताएं					96079.02
पूंजीगत व्यय	84.82	159.01	29.66	1.55	275.04
अनावंटित पूंजीगत व्यय					50.30
कुल पूंजीगत व्यय					325.34
मूल्य ह्रास	253.33	41.84	33.51	6.76	335.44
अनावंटित मूल्य ह्रास					70.84
कुल मूल्य ह्रास					406.28

कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची (VI) के भाग II के प्रावधान के आलोक में अतिरिक्त सूचना

(रूपये लाख में)

(ए1) उन कर्मचारियों का विवरण जो पूरे वर्ष भर नियोजित थे एवं जिनका वार्षिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) 24 लाख रूपये या इससे ज्यादा था या ऐसे कर्मचारी जो एक व से कम समय के लिए नियोजित थे एवं जिनका मासिक पारिश्रमिक (लाभों सहित) दो लाख रूपये या इससे ज्यादा था।

	चालू वर्ष	विगत वर्ष
	शून्य	शून्य

(ए2) लेखा परीक्षक व्यय

		चालू वर्ष	विगत वर्ष
(i)	**सांविधिक लेखा परीक्षक पारिश्रमिक**	1.44	1.44
(ii)	**कर लेखा परीक्षा शुल्क**	0.20	0.20
(iii)	**अन्य व्यय**	0.32	0.47

(बी) क्षमता तथा उत्पादन

	अधिकृत क्षमता		स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
	III/II	III/II				
	मैट्रिक टन में	मैट्रिक टन में	मैट्रिक टन	मैट्रिक टन	मैट्रिक टन	मैट्रिक टन
निर्मित वस्तुएं						
एफ. एफ. पी.						
जी. आई. कास्टिंग्स	33,345	33,345	33,345	33,345	1,644	1,170
स्टील कास्टिंग्स	40,182	40,182	40,182	40,182	4,630	4,734
फोर्जिंग एवं फोर्ज्ड रोल्स	41,463	41,463	41,463	41,463	2,052	3,359
एन. एफ. कास्टिंग्स	700	700	700	700	65	108
जी. आई. मोल्डस्	1,110	1,110	1,110	1,110	82	221
स्टील इनगोट्स, कोर एवं सिन्थेटिक आयरन	40,000	40,000	40,000	40,000	2,933	4,531
रोल्स (जी. आई. तथा स्टील)	17,740	17,740	17,740	17,740	0	0
उपोत्पाद (बाई-प्रोडक्टस) कोलतार					2,434	2,355
	174,540	174,540	174,540	174,540	13,550	15,879

टिप्पणी : उत्पादन आंकड़ें में 3594.61 मैट्रिक टन के अन्तर प्लांट अंतरण के उत्पादन में शामिल है (विगत वर्ष 4805.23 मैट्रिक टन) और आंतरिक उपयोग के लिए 4665.73 मैट्रिक टन (विगत वर्ष 5556.72 मैट्रिक टन) के उपस्कर बनाये गये तथा प्रत्येक शॉप के उत्पादन के आधार पर प्रत्येक लाइसेंस के प्रदर्शित किये गये हैं। कुछ तैयार उत्पादों को दूसरे शॉपों में निवेश केरूप में उपयोग किया जा रहा है। उत्पादन आंकड़ों को प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

	अधिकृत क्षमता 2010-11	अधिकृत क्षमता 2009-10	स्थापित क्षमता 2010-11	स्थापित क्षमता 2009-10	वास्तविक उत्पादन 2010-11	वास्तविक उत्पादन 2009-10
एच. एम. बी. पी.						
मेटालर्जिकल मशीनरी तथा उपकरण	80,000	80,000	80,000	80,000	9055	9821
स्ट्रकचरल्स	25,000	25,000	25,000	25,000	0	0
	105,000	105,000	105,000	105,000	9055	9821

टिप्पणी :
1. उत्पादन आंकड़े प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है।
2. उपर्युक्त कुल उत्पादन आंकड़े विक्रय एवं समापन स्टॉक के योग में प्रारंभिक स्टॉक को घटाने के पश्चात् निकाले गये हैं।
3. वास्तविक उत्पादन में अन्य पार्टियों को दिये गये कार्यों तथा अन्य संभारकों के प्रेषण शामिल है।
4. उत्पादन आंकड़ों में आंतरिक उपयोग के उत्पादन सम्मिलित हैं।
5. उत्पादन आंकड़ों में शामिल है अन्तर प्लांट बिक्री 748.91 मैट्रिक टन (विगत वर्ष 496.80 मैट्रिक टन)।

टर्न की परियोजना : कान्ट्रेक्ट की संख्या –	3 अदद	4 अदद	23543	12625

एच. एम. टी. पी.						
मशीन औजार, उपसाधन						
अतिरिक्त पुर्जे तथा अन्य उत्पाद	10,000	10,000	10,000	10,000	420	362
शामिल है मशीनरी					5 अदद	7 अदद
शामिल है विशेष उपसाधन एवं कार्य-हेतु (जाविंग)					328 अदद	962 अदद

टिप्पणी : 1. वास्तविक उत्पादन आंकड़े में अंतर प्लांट अंतरण शामिल है 4.80 मैट्रिक टन (विगत वर्ष 3.47 मैट्रिक टन) उत्पादन आंकड़े प्रबंधन द्वारा सत्यापित है।

(सी) कुल बिक्री **(रुपये लाख में)**

	परिमाण मैट्रिक टन में		कम प्रति लाभ बिक्री अधिमूल्य	
	2010-11	2009-10	2010-11	2009-10
एफ. एफ. पी.				
जी. आई. कास्टिंग्स	711.51	484.47	523.79	410.61
स्टील कास्टिंग्स	1695.00	2070.98	1350.80	2178.74
फोर्जिंग एवं फोर्ज्ड रोल्स	439.27	619.36	553.29	1264.47
निर्यात बिक्री	9.86	0.00	20.36	0.00
उपोत्पाद (बाई प्रोडक्टस) कोल टार	2647.05	2626.64	464.88	380.00
सेवाएँ	0.00	0.00	342.40	25.60
	5502.69	5801.45	3255.52	4259.42

टिप्पणी : बिक्री छोड़कर उत्पाद शुल्क 252.17 लाख रु. (विगत वर्ष 346.61 लाख रु.) अन्तर इकाई हस्तान्तरण एवं आंतरिक उपयोग हेतु आइटम।

एच. एम. बी. पी.				
मेटलर्जिकल मशीनरी तथा उपकरण	8230.50	9438.20	34966.63	30798.56
	8230.50	9438.20	34966.63	30798.56
टर्न की परियोजना		4 अदद	23543.29	12625.14
एच. एम. टी. पी.				
मशीन टूल्स 5 अदद (विगत वर्ष 7 अदद)	236.51	221.48	1305.04	921.46
विशेष उपसाधन तथा कार्य हेतु जॉविंग (328 अदद) (विगत वर्ष 962 अदद)	178.69	137.84	1020.49	1051.45
	415.20	359.32	2325.53	1972.91

(डी) निर्मित वस्तुओं का स्टॉक

निर्मित वस्तुएँ	प्रारंभिक स्टॉक (01.04.2010) परिमाण (मैट्रिक टन में)	प्रारंभिक स्टॉक (01.04.2010) मूल्य (रुपये लाख में)	समापन स्टॉक (31.03.2011) परिमाण (मैट्रिक टन में)	समापन स्टॉक (31.03.2011) मूल्य (रुपये लाख में)
एफ. एफ. पी.				
जी. आई. कास्टिंग्स	0.00	0.00	0.00	0.00
	(12.44)	(9.45)	0.00	0.00
स्टील फोर्जिग्स तथा फोर्ज्ड रौल्स	1.92	0.12	1.92	0.12
	(1.92)	(0.12)	(1.92)	(0.12)
नन-फेरस कास्टिंग्स	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.32)	(1.26)	0.00	0.00
उपोत्पाद (बाई-प्रोडक्ट्स) कोलटार	597.47	102.00	384.44	69.20
	(869.11)	(78.44)	(597.47)	(102.00)
	599.39	102.12	386.36	69.32
	(883.79)	(89.27)	(599.39)	(102.12)
एच. एम. बी. पी.				
मेटालर्जिकल मशीनरी तथा उपकरण	69.64	219.53	145.23	360.09
	(183.64)	(302.52)	(69.64)	(219.53)

	परिमाण	(मैट्रिक टन में)	मूल्य (रुपये लाख में)	परिमाण	(मैट्रिक टन में)	मूल्य (रुपये लाख में)
एच. एम. टी. पी.						
मशीन टूल्स	0 अदद	0.00	0.00	0 अदद	0.00	0.00
	(0 अदद)	(0.00)	(0.00)	(0 अदद)	(0.00)	(0.00)
विशेष उपसाधन तथा	1 अदद	17.00	17.51	1 अदद	17.00	17.51
अतिरिक्त पुर्जे और कार्य हेतु (जॉबिंग)	(1 अदद)	(17.00)	(17.51)	(1 अदद)	(17.00)	(17.51)
	1 अदद	17.00	17.51	1 अदद	17.00	17.51
	(1 अदद)	(17.00)	(17.51)	(1 अदद)	(17.00)	(17.51)

टिप्पणी : कोष्ठक के आंकड़े विगत वर्ष के हैं।

(ई) कच्चे माल की खपत

(खरीदी गयी वस्तुएँ तथा सीधे प्रेषणों सहित)

(रुपये लाख में)

वस्तुएँ		2010–11 परिमाण	2010–11 मूल्य	2009–10 परिमाण	2009–10 मूल्य
एफ. एफ. पी.					
एलाय स्टील	मैं. ट.	223.71	170.64	400.68	286.36
फेरस एवं फेरो एलाय	मैं. ट.	8254.55	2044.15	9898.61	2550.46
नन–फेरस एलाय	मैं. ट.	102.91	344.44	157.18	400.96
क्रैंक शाफ्ट	अदद	27	213.12	0.00	0.00
लकड़ी	घन. मी.	2976.04	29.90	215.99	52.50
	वर्ग फी.	2880.00	-	21162.13	-
		योग	2802.25		3290.28
एच. एम. बी. पी.					
ग्रे आयरन कास्टिंग्स	मैं. ट.	89.72	62.83	1147.68	188.24
स्टील कास्टिंग्स	मैं. ट.	1818.17	2248.80	728.84	1727.21
स्टील फोर्जिंग्स	मैं. ट.	1011.69	2374.97	1139.27	2158.42
नन–फेरस कास्टिंग्स	मैं. ट.	27.17	233.65	38.63	334.48
स्टील प्लेट्स प्रोफाइल्स और	मैं. ट.	3265.07	1444.89	4329.94	1828.80
अवयव/उपसाधन	अदद	1035	4101.36	867	1968.61
विविध (जी.आर. ९९)	लीटर	460.00	0.06	3452.00	3.01
फेब्रीकेटेड वस्तुएँ	अदद	303620	956.01	231915	466.50
मशीनरी पुर्जे	मीटर	26010.25	-	24466.61	-
अतिरिक्त पुर्जे	के.जी.	11246.61	-	2401.83	-
बोल्ट, नट और औजार इत्यादि	वर्ग. मैं. ट.	38.50	-	267.00	-
विद्युत सामग्री	मीटर	133057.39	3151.35	112492.00	3581.48
	अदद	92062	-	57286	-
	केजी	2118.96	-	1720.43	-
बियरींग्स	अदद	2899.00	572.73	2939.00	394.60
		योग	15146.65		12651.35
एच. एम. टी. पी.					
कास्टिंग्स (स्वदेशी)	अदद	1790	287.34	1915	362.51
अवयव (आयातित)	अदद	872	1283.81	365	179.48
विविध वस्तुएँ (स्वदेशी)	अदद	487499	433.05	275328	536.82
		योग	2004.20		1078.81

कच्चे माल, अवययों, भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जों की खपत मूल्य
(तैयार माल की खरीद सहित) तथा उनकी प्रतिशतता

(रुपये लाख में)

	2010-11		2009-10	
	मूल्य	%	मूल्य	%
(ए) कच्चे माल				
(1) आयातित	4211.78	21.11	363.17	2.13
(2) स्वदेशी	15741.32	78.89	16657.27	97.87
योग	19953.10	100.00	17020.44	100.00
(बी) भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे (मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए प्रयोग में लाये गए भंडार तथा अतिरिक्त पुर्जे सहित)				
(1) आयातित	100.92	2.34	207.24	1.81
(2) स्वदेशी	4209.18	97.66	11269.23	98.19
योग	4310.10	100.00	11476.47	100.00

टिप्पणी : * निर्धारित एजेन्सियों द्वारा आयातित वस्तुओं को छोड़कर

(एफ) सी. आई. एफ. के आधार पर आयात का मूल्य

	2010-11	2009-10
कच्चे माल, अतिरिक्त पुर्जे एवं अवयव	4854.85	370.39
पूंजीगत वस्तुएँ	9.96	225.21
योग	4864.81	595.60

एच. एम. बी. पी. के मामले में कच्चा माल, स्पेयर पार्ट्स के सी. आई. एफ. मूल्य में सामग्री का दाम एवं सामग्री दाम का 5.5 प्रतिशत बीमा और भाड़ा के लिए सम्मिलित है।

(जी) विदेशी मुद्रा में व्यय

	2010-11	2009-10
तकनीकी जानकारी हेतु शुल्क	112.33	88.49
निदेशकों तथा पदाधिकारियों का विदेश यात्रा-भत्ता	14.14	4.10
योग	126.47	92.59

हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड

(रुपये लाख में)

लेखा के अंश के रूप में अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के भाग IV के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

तुलन-पत्र सारांश और कंपनी के सामान्य कारोबार का प्रोफाइल

1. पंजीकरण विवरण

पंजीकरण संख्या

0	0	0	6	3	0

राज्य कोड

	0	3

तुलन-पत्र की तिथि

3	1	0	3	1	1

तिथि माह वर्ष

2. वर्ष के दौरान पूंजी वृद्धि

पब्लिक इश्यू

शू		न्य

राइट इश्यू

शू		न्य

बोनस इश्यू

शू		न्य

प्राइवेट प्लेसमेंट

शू		न्य

3. निधियों का मोबिलाइजेशन और डिप्लायमेंट की स्थिति

कुल देयताएँ

	8	1	8	6	9

कुल परिसम्पत्तियाँ

	8	1	8	6	9

निधियों के स्रोत

प्रदत्त पूंजी

6	0	6	0	8

आरक्षित स्वं अधिशेष

1	2	2	9	5

प्रतिभूत ऋण

	8	9	6	6

अप्रतिभूत ऋण

					0

निधियों के उपयोग

निवल अचल परिसम्पत्तियाँ

	8	2	3	8

निवेश

				1

निवल चालू परिसम्पत्तियाँ

-	1	6	9	9	5

विविध व्यय

	3	0	6

संचित हानि

	9	0	3	2	0

4. कंपनी का निष्पादन

टर्न ओवर

6	8	1	2	1

कुल व्यय

6	4	3	0	7

कर के पूर्व लाभ/हानि + –

	+	3	8	1	4

कर के पश्चात लाभ/हानि + –

	+	3	8	1	4

प्रति शेयर आमदनी समायोजित (रुपयों में)

	6	3

लाभांश दर %

	शू	न्य

5. कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के व्यापक नाम (आर्थिक दृष्टि से)

वस्तु कोड संख्या
(आई.टी.सी.कोड)

उत्पाद विवरण	स्टील प्लांट /
	माईनिंग इक्वीपमेन्ट

वस्तु कोड संख्या
(आई.टी.सी.कोड)

उत्पाद विवरण	स्टील कास्टिंग्स,
	फोर्जिग्स और रौल्स

वस्तु कोड संख्या
(आई.टी.सी.कोड)

उत्पाद विवरण	हेवी मशीन टूल्स

कंपनी की कार्यक्षमता

प्लांट विविध उत्पादों का निर्माण करने में समथ है, जिसमें कुछ उत्पादों का विवरण निम्नांकित है :

फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट
(आई.एस.ओ. – 9001 : 2000 यूनिट)

आयरन कास्टिंग्स	:	100 टन वजन तक
स्टील कास्टिंग्स	:	90 टन वजन तक
नन–फेरस कास्टिंग्स	:	2 टन वजन तक
फोर्जिंग्स	:	40 टन वजन तक
रॉल्स	:	हॉट रॉलिंग मिल, स्लैबिंग मिल, ब्लोमिंग मिल हेतु 40 टन वजन तक फोर्ज्ड इंडक्शन हारडेंड रॉल्स, एस. सी., आयरन रॉल्स

हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट
(आई.एस.ओ.–9001 : 2000 यूनिट)

- ब्लास्ट फर्नेस : क्षमता 1719, 2000 एवं 3200 घन मी.
- कोक ओवेन बैटरिज : 4.3 से 7 मी. की ऊँचाई
- सिन्टरिंग प्लांट्स : आकार 75 वर्ग मी., 80 वर्ग मी., 252 वर्ग मी. एवं 312 वर्ग मी.
- 100 टन / 130 टन एवं 300 टन एल. डी. कन्वर्टर्स समेत स्टील मेल्टिंग शॉप इक्विपमेंट
- कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन : स्लैबस एवं ब्लूम्स हेतु
- रॉलिंग मिल इक्विपमेंट
- इलेक्ट्रिक रोप शॉवेल्स: क्षमता 5 घन मी., 10 घन मी., 12.5 / 15 घन मी.
- हाइड्रोलिक शॉवेल्स : क्षमता 3 से 8 घन मी.
- वाकिंग ड्रैगलाइन्स 20 / 90 एवं 24 / 96
- उच्च शक्ति के मेटालर्जिकल क्रेन एवं अन्य ई.ओ.टी. क्रेनः क्षमता 450 टन एवं रोटेटिंग टौंग क्रेन
- मैटेरियल हैण्डलिंग इक्विपमेंट यथा – वैगन टीपलर, एप्रॉन फीडर, रिक्लेमर्स आदि।
- मूल उद्योगों की जरूरत हेतु विभिन्न प्रकार के उपकरण यथा प्राइमरी जाइरेटरी एवं अन्य क्रसर्स
- ओवर बर्डन ब्लॉस्ट होल ड्रिल्स : 250 मि.मी व्यास
- प्रोजेक्ट डिवीजन निम्नांकित क्षेत्रों में टर्न–की आधारित प्रोजेक्टों का कार्य निष्पादन करने में समर्थ हैं :
  - मैटेरियल हैंडलिंग सिस्टम
  - कोल डीसेलिंग सिस्टम
  - कोल डीगैसीफिकेशन प्लांट
  - स्टील प्लांट फैसिलिटीज यथा : सिन्टरिंग प्लांट, कंटिन्यूअस कास्टिंग प्लांट एवं कोक ओवेन बाई–प्रोडेक्ट प्लांट
  - सीमेंट प्लांट

हेवी मशीन टूल्स प्लांट
(आई.एस.ओ. 9001–2000 यूनिट)

रेलवे हेतु विशेष प्रयोजनार्थ मशीन टूल्स समेत विभिन्न प्रकार के मशीन टूल्स, इसके साथ–साथ प्लांट कुछ मॉडल के सी. एन. सी. मशीन के उत्पादन में भी समर्थ है।

CAPABILITIES OF THE COMPANY

The plants can manufacture various products, some of which are as here under :

FOUNDRY FORGE PLANT
(ISO 9001:2000 UNIT)

Iron Castings	–	Weighing upto 100 T
Steel Castings	–	Weighing upto 90 T
Non-ferrous Castings	–	Weighing upto 2 T
Forgings	–	Weighing upto 40 T
Rolls	–	Forged induction hardened Rolls weighing upto 40 T for Hot Rolling Mills, Slabbing Mills, Blooming Mills, SG Iron Rolls etc.

HEAVY MACHINE BUILDING PLANT
(ISO 9001 : 2000 UNIT)

- Blast Furnace of Capacity 1719,2000 and 3200 Cu.M
- Coke Oven Batteries from 4.3 to 7 M height
- Sinter Plants of 75 M2, 80 M2, 252 M2 and 312 M2 size
- Steel Melting Shop Equipment inclusive of 100T / 130T and 300 T L.D. Converters
- Continuous Casting Machines for Slabs & Blooms
- Rolling Mill Equipment
- Electric Rope Shovels of capacity 5 M3, 10 M3, 12.5/15 M3
- Hydraulic Shovels of 3 to 8 Cu. M. capacity
- Walking Draglines 20/90 and 24/96
- Metallurgical Cranes and other EOT Cranes of high capacities up to 450 T and Rotating Tong Cranes
- Material Handling equipment namely, Wagon Tippler, Apron Feeder, Reclaimers etc.
- Various other equipment namely, Primary Gyratory and other Crushers needed by core sector industries.
- Over Burden Blast Hole Drills - Dia. 250 mm
- The Project Division can take up execution of projects of turnkey basis in the following areas
  - Material Handling System
  - Coal Deshelling Washery
  - Coal Degasification Plant
  - Steel Plant facilities like Sintering Plant, Continuous Casting Plant and Coke Oven By-Product Plant
  - Cement Plants

HEAVY MACHINE TOOLS PLANT
(ISO 9001: 2000 UNIT)

Various types of machine tools including special purpose machine tools for Railways. The plant is capable of producing CNC Machine Tools of some models as well.

एच.ई.सी.

On the 50th year of rebirth we know....
People, Purpose & Productivity ... only way to go forward

HEAD OFFICE, RANCHI
HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD., Plant Plaza Road, PO. - DHURWA, RANCHI - 834 004
Tel.: 91-651-2401176/2401485, Fax: 91-651-2401571, E-mail: corpmktg@hecltd.com

BRANCH OFFICE, NEW DELHI
HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD., E-84, MASJID MOTH, GREATER KAILASH-III, NEW DELHI -110 048
Tel.: 91-11-29220224/ 41437422, Fax: 91-11-29220225, E-mail: hecdelhi@hecltd.com

BRANCH OFFICE, K0LKATA
HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD., 77, PARK STREET, K0LKATA - 700 016
Tel.: 91 -33-22372397 / 22290661, Fax: 91 -33-22291509, E-mail: heckolkata@hecltd.com
Website: www.hecltd.com